

14.49 hrs.

**CHILD MARRIAGE RESTRAINT  
 (AMENDMENT) BILL**

THE MINISTER OF LAW, JUSTICE  
 AND COMPANY AFFAIRS (SHRI  
 SHANTI BHUSHAN): Mr. Deputy  
 Speaker, Sir, I beg to move:

"That the Bill further to amend the Child Marriage Restraint Act, 1929, and to make certain consequential amendments in the Indian Christian Marriage Act, 1872, and the Hindu Marriage Act, 1955 be taken into consideration."

Sir, the Bill seeks to increase the minimum age for the purpose of marriage both for males and females. It further provides that the offences under this Act, the Child Marriage Restraint Act, may be capable of investigation by the police officers under the Code of Criminal Procedure as if they were cognizable offences, but, at the same time, the police officers may not have the power to effect arrests without a warrant or without an order of a magistrate.

Sir, the question of raising the minimum age for marriage in the case of both males and females has been under the consideration of the Government for quite sometime. In fact, this Act of 1929 was enacted in order to prevent child marriages. Originally, the Act provided that a male who was under 18 years of age and a female under fourteen years of age were not entitled to marry. Subsequently, the age-limit for females was raised to 15 years as a result of an Amending Bill of 1948 which had been brought forward by Pandit Thakurdas Bhargava in the Constituent Assembly. Earlier, in fact, that Bill was enacted to raise the minimum age for marriage of a male from 18 to 20 years and of the female from 14 to 15 years. But, the Bill was referred to a Select Committee which had agreed with the proposal. However, when the Bill

was ultimately passed, it provided for raising of the minimum age for females only from 14 to 15 and the position with regard to males was maintained as it was before.

As the hon. Members of the House are aware, this question of minimum age for marriage has a direct bearing on the growth of population in the country. When this growth of population is such an important problem, which the country is facing, it is necessary that the minimum age both for males and females should be increased. Earlier also a Bill had been introduced in this House in August, 1976 but it had lapsed with the dissolution of the Lok Sabha on the 18th of January, 1977.

Now, Sir, having regard to the importance of this matter, it is proposed by this Bill to raise the minimum age of marriage for males to 21 and for females to 18. Although in the Bill, as introduced, the age was proposed to be raised from 15 to 16 only, but, Sir, having regard to this very important matter of growth in population, it is proposed, I have already given notice of an official amendment, to fix the minimum age for females as 18.

There has often been a plea that, these offences until they are made cognisable, the enforcement of the act is not really fully made. Government gave anxious consideration to this matter and it cannot be disputed that the provisions in such an Act should be rigorously enforced. But, at the same time, it is necessary that the people may not unnecessarily be harassed. Therefore, this *via-media* has been found, namely, that the offences may be made cognisable so that it may be open to the police to investigate the offences and bring the offenders to book. At the same time the power has not been given to the police officers to effect arrests without a warrant or without an order from a magistrate.

I might add that so far as any measures for such social reforms are concerned, they do not merely depend upon law because the attitude of the public is also very important. Our aim should also be that the public should be educated to fall in line with such reforms. There is, of course, an amendment proposed to the Enacting Formula and the clause of the Bill because the Bill was introduced in 1977 and, by the process of history, we have come to 1978 now.

With these remarks, I commend this Bill for the consideration of the House.

**MR. DEPUTY-SPEAKER:** Motion moved:

"That the Bill further to amend the Child Marriage Restraint Act, 1929 and to make Certain consequential amendments in the Indian Christian Marriage Act, 1872, and the Hindu Marriage Act, 1955, be taken into consideration."

**SHRI VAYALAR RAVI** (Chirayinkil): Mr. Deputy-Speaker, Sir, there is not much to argue on this and the hon'ble Minister himself has accepted an amendment. There is an official amendment raising the age of female upto eighteen.

Sir, one of the main reasons for bringing forward this Bill, that is, raising the marriage age is to check the growth of population. It is true the population problem is one of the major problems facing this country but different methods are being adopted to tackle this problem. Government itself is proposing many things. I do not want to get myself involved in that problem just now. Government is realising the gravity and seriousness of the rate of growth in population.

Sir, I would like to draw your attention to the Statement of Objects and Reasons wherein it is stated:

"The question of increasing the minimum age of marriage for males and females has been considered in the present context when there is an urgent need to check the growth of population in the country. Such increase of the minimum age of marriage will result in lowering the total fertility rate on account of lesser span of married life."

In this respect, I would like to point out that there is a heavy demand from the young men for lowering the voting age. The youngmen feel that they are mature at the age of eighteen. Actually the Janata governments of Madhya Pradesh and Gujarat have accepted this demand for lowering the voting age to eighteen. So, Sir, when a citizen of this country is capable of exercising his right of franchise at the age of eighteen, how can you prevent him by law from marrying at the age of eighteen? Further, marriage does not mean just producing children. There is something else to it. Here you are restricting the right of the citizens of this country—especially menfolk—upto the age of twenty-one. Sir, there seems to be no logic of criteria behind fixing the age for male at twenty-one. There is no logical explanation as to why in the case of male it is twenty-one whereas for female it is eighteen. My demand is that in the case of male also it should be eighteen. The age should be equal for both men and women. Today women are clamouring for equal rights and this morning the Railway Minister also said that he was going to appoint more women on the ticket booking counters. So, my suggestion is that the age of male and female should be equal. It is now accepted by the governments of Madhya Pradesh and Gujarat that a young man is capable of thinking about the future of the nation at the age of eighteen. So, you must give the same right to the citizens in their individual freedom. Today a student becomes a graduate at the age of

twenty-one. He will have to wait for another one year to get married.

So, my simple request is.....  
(Interruptions). Mine is a late marriage.

15.00 hrs.

THE MINISTER OF LAW, JUSTICE AND COMPANY AFFAIRS (SHRI SHANTI BHUSHAN): The hon. Member is already above 21. Why is he worried?

SHRI VAYALAR RAVI: I am worried about the future generation.

AN. HON. MEMBER: He is worried about his son, Sir.

SHRI A. BALA PAJANOR (Pondicherry): He is highly deceptive in age.

SHRI VAYALAR RAVI: Sir, there should be equal rights. It should be 18 years for both boys and girls. So far as population growth is concerned, the mere criterion should not be raising of marriageable age. But it may be one of the criteria which I fully appreciate. In so far as raising of marriageable age of girls is concerned, it is all right because if they are married at the early age, they may have two or three children before they attain the age of 20 or so and the entire family is affected. Now, when a child is born, we should think in terms of what should be the attitude of the child towards the society. In this country, a child is considered to be the property of the family or may be the wealth of the family. But the responsibility rests on the family in bringing up the children. Now, the time has come when the responsibility of the Government is not to see that they are saved from mortality but to see that their health is protected. Of course, it may be the responsibility of the State Governments but it is also the responsibility of the Central Government to see that the

health of every child born in this country is protected. The children are the wealth of the nation as a whole.

Then, Sir, there should be an incentive to prevent the growth of the population. If the Government comes forward with an assurance that for those families who have one or two children, they would be given some kind of social status in the State or some kind of social security would be given to them, that would help because every family wants to save for its future generation. They think if they save for the future, their children would be secure. So, one of the measures that this Bill should consider is that the State should take the responsibility of giving social security to every child born in the country.

Sir, I would like the hon. Minister to clarify two points. One is, what he thinks about the maturity and the fertility of the young people? Secondly, what is the logic behind fixing 18 years and 21 years for girls and boys respectively for marriageable age? Afterwards, I would like to move another amendment in order to reduce the age of the young men from 21, because you cannot call it a child marriage. A young man at the age of 18 is not a child. It cannot be called Child Marriage Restraint (Amendment) Bill. Every young man is a voter. He is a citizen of this country. I say that it should be called Indian Marriage Act. With these words, I support this Bill.

\*SHRIMATI BIBHA GHOSH GOSWAMI (Nabadwip): Mr. Deputy-Speaker, Sir, I will speak in my mother tongue—Bengali.

Sir, I rise to support the Bill. While dilating on the objects and reasons of the Bill the hon. Law Minister has said that the main

\*The original speech was delivered in Bengali.

[Smt. Bibha Ghosh Goswami]  
 objective of the Bill is to control the growth of population. He said "The question of increasing the minimum age of marriage for males and females has been considered in the present context when there is an urgent need to check the growth of population in the country. Such increase of the minimum age of marriage will result in lowering the total fertility rate on account of lesser span of married life," and consequently he has sought to raise the minimum age of marriage for females to 18 and for males to 21 in the present Bill.

In national and international spheres it is an acknowledged fact that growth of population is closely linked with malnutrition, illiteracy and lower standard of life. In fact the population grows in an inverse ratio with the economic standard of a family and its education. Without taking effective steps to raise the standard of life of the common man and to impart proper education to them it would be futile to tackle the question of population growth only through the medium of legislation and it would not be an exaggeration to say that the Government's present efforts amount to placing the cart before the horse and I am sure it will not yield the desired results. Therefore, I would urge upon the Government to change their outlook, and I am not one with the attitude that the Government has for this Bill because I feel that the objectives are wrongly placed. In the statement of objects and reasons the hon. Minister has stated that the Bill "will also result in more responsible parenthood and in better health of the mother and child." Unfortunately during the course of his introductory speech the hon. Minister did not make any mention about this aspect of the matter which I feel is an important one and this leads me to infer that he considers this vital aspect as subsidiary or secondly to the main issue. In my humble opinion, Sir, I feel the first and foremost objective of the

Bill should have been to raise the status of woman in India and to set up a social order where men and women would lead a healthy life on the basis of equality. If this can be achieved naturally population will be controlled automatically.

Sir, the Committee on status of woman have developed deep into the problem of woman in our country and in their valuable report running into 480 pages, the Committee have clearly shown that during 30 years of independence, the woman folk of our country have been getting less and lesser share in employment, education, politics etc. as compared to men in India.

Child marriage, unwanted motherhood are some of the chief impediments in the way of the development of Indian women. I support this Bill as it will help to raise the status of woman, offer an opportunity for the betterment of their education, health, employment, mental maturity, secure economic emancipation and because in short it sees to achieve total development of women in the interest of the nation and I feel that the Government should have had introduced a more comprehensive Bill keeping the above outlook in view and not merely as a part of family planning programme. In this connection, I would like to quote a few statistics to how child marriage continues to be a great social bane and how it has proved to be a great stumbling block for the growth of status of woman in our country. At page 80 the Committee on Status of Woman have said that according to the census figure for the year 1971 the position of married

person between the age 10 to 24 in rural and urban areas was as under:

Age group	Rural		Urban	
	1971		1971	
	Male	Female	Male	Female
10—14	5.31	13.39	1.50	4.21
15—19	21.06	63.09	7.38	36.24
20—24	55.91	93.78	32.78	80.90

This rightly shows the position of married women in the country. I would also like to quote a few lines from the observations of the same Committee at page 82 wherein it has been stated by the Committee that "Census has stopped collecting data for marital status of girls below the age of 10. Therefore, it is not possible to know of the incidents of child marriage between the ages of 0 to 10 years. But in our tours, we came across a number of children below the age of 10 who were already married. We were also informed of marriages where the bride had to be placed on thali. In a village in Darbhanga we saw a girl of 3 in a Balwadi, wearing sindhur mark. (In a factory in Indore that we visited, a baby of 18 months in a creche was already married)." I hardly need to emphasise, Sir, that no nation in the world can progress by keeping half of its population—the women folk—crippled and maimed. The Sarda Act was passed in 1929 and despite this legislation if the condition of woman in our country continues to be so deplorable it only indicates how formidable the problem is.

Before we attempt to eradicate the bane of child marriage we have to trace the reasons which have perpetuated the evil over the decades. Social, economic, educational and cultural factors have mingled inextricably to give birth to the problem of child marriage. In India woman must be married. It is a social compulsion and a social law. Therefore, if one can marry their children the parents escape the stigma of violating the social

law and the consequences that might follow. Child marriage is also practised for maintaining the chastity and purity of woman while the same argument does not apply to boys. It is a common belief in the rural areas that before attainment of puberty a girl should be married as otherwise her forefathers will go to hell. Yet another reason which influence the parents to go in for child marriage is their belief that a child would be in a better position to adjust herself when she goes to her in-laws and it would be easy for the in-laws to mould the child according to their own family traditions. In communities where a female child does not work for the family the parents show a natural inclination to shake off the burden by giving her in marriage in childhood. It is a common knowledge that there is a practice in the rural areas where the boy has to give dowry for seeking the hand of a girl in marriage. Obviously, the dowry for a 5 to 7 year old girl is much less than a 15 to 16 year old girl. Naturally an agricultural labourer finds it easy to marry his son in childhood when he has to pay less by way of dowry than when he grows in manhood.

Illiteracy and child marriage go hand in hand. It has been found that with increase in female education the incidence of child marriage goes down. Therefore top priority should be given to primary and adult education. We have to undertake extensive publicity campaign to stop child mar-

[Smt. Bibha Ghosh Goswami]

riage in the country this cannot be achieved merely by depending on newspapers and the All India Radio. The Government have to enlist the wholeheartedly cooperation of the people particularly the woman organisations in the country, we have to enlist the cooperation of the peoples Organisations wherever they exist in the country. The Government must have a clear outlook on this issue and when the objectives are clear, it would be easy to mobilise the peoples efforts in the right and proper directions. In this connection I would like to draw the attention of the House to one of the main recommendations of Committee on the status of woman in India and incidentally the U. N. Commission on status of woman have recommended the same that there should be a statutory commission on the status of woman in all countries where their conditions are far from satisfactory. The Indian Committee on the status of woman in their report on page 353 have suggested constitution of statutory autonomous Commission at the Centre and the State to:

(a) To collect information regarding all trends in social organisations that effect women's enjoyment and realisation of their basic rights, in order to study and evaluate these trends.

(b) To evaluate the existing policies, programmes and laws that have a bearing on the status of woman with the following powers:—

(i) To ensure non-implementation of these measures; and

(ii) To point out lacunae or deficiencies in such measures and suggest amendments or improvements.

(c) Recommend new laws, policies or programmes aiming to implement Directive Principles of State Policy and the objectives of the U.N. Resolutions and Conventions regarding the status of woman; and

(d) Redressal of grievances in cases of actual violation of existing laws.

I very strongly feel Sir, that Constitution of such a statutory Commission would be quite effective to check child marriages in our country.

Sir, 70 per cent of our population live under poverty level and almost all of them are illiterate. It is among these people that the practice of child marriage thrives and it is here again that the growth rate of population is very high. In order to deal with these twin problems we have to bring about revolutionary economic and social changes in our society. As it is the ownership of rural land is concentrated in the hands of a few persons and unless we are able to do away with this evil, and unless we are able to introduce far reaching land reforms in our country we would never be able to tackle effectively the social evils like child marriage and consequently check the rate of population growth. Therefore, I would request the Government to muster courage and show their political will to bring about this socio-economic change in our country as this change will generate new consciousness among the millions of our exploited masses, do away with superstitions and illiteracy and finally it will give birth to a new society where the men and women will enjoy equal rights and enjoy healthy life. This is the only way of the resent legislation far from remaining a paper document will serve as an effective instrument to achieve equal rights for woman and ensure full human rights to them.

15.16 hrs.

[DR. SUSHILA NAYAR in the Chair]

कुमारी मणिबेन बल्लभभाई पटेल (मेह-साना) : सभापति जी, मेरा कहना यह है कि यह कानून बनना है तो इसे हिन्दुस्तान की सभी कौमों पर लागू होना चाहिए। यह बाली हिन्दुओं पर ही लागू न हो।

जब हम सारे देश को एक मानते हैं तो सभी कौमों पर—चाहे मुसलमान हों, बोहरा हों, ईसाई हों, हिन्दु हो, पारसी हों इसे लागू करना चाहिए ।

दूसरी बात यह है कि मात्र कानून बनाने से ही सहायता नहीं मिलेगी । इसके लिए हमें दूसरी बातों की तरफ भी ध्यान देना होगा । हमें देखना होगा कि हमारे सिनेमा किस प्रकार के होते हैं, किस प्रकार के गाने बे देते हैं । हमें यह भी देखना होगा कि सड़कों पर किस प्रकार के पोस्टर लगते हैं । इन से हमारे नौजवानों पर किस प्रकार का प्रभाव पड़ता है । ये सारी बातें सोचनी हैं । जब चारों तरफ आबोहवा अगर इस प्रकार की होगी तो आपका कानून सफल नहीं हो सकता है । इससे तो लोग मात्र अनीति पर ही जायेंगे और महिलाओं की इज्जत खराब होगी । इसलिए मेरा कहना यह है कि इस सब पर भी सरकार को ध्यान देना चाहिए ।

हमारे यहां पहले भी एक कानून है । मगर देहातों में गरीब लोग चार-चार साल, दस-दस साल के बच्चों की शादियां कर देते हैं । कहीं उसी कानून जैसा हाल इस कानून का भी न हो । पुराने रिवाज के मुताबिक जब महिला को बच्चा होता था तो 6 महीने पहले माता के पास और 6 महीने बाद तक वह अपनी सास के पास रहती थी । जब तक बच्चा मां का दूध पीता था तब तक वह अपनी सास के पास रहती थी । लेकिन अब बच्चे का जन्म होते ही पति पत्नी के पलंग पर जाके बैठ जाता है । इससे हमारा कुटुम्ब नियोजन कैसे होगा । अगर हमें इसे सफल बनाना है तो अपने पुराने रीति-रिवाजों और संस्कारों का पालन करना होगा ।

मैं आपके सामने यही कहने के लिए खड़ी हुई हूँ कि खाली कानून से ही हमें सफलता नहीं मिलेगी । हमें अपने सिनेमाओं और

सड़कों पर लगने वाले पोस्टरों की तरफ भी देखना होगा । इस तरह के पोस्टर लगे होते हैं कि वे देखे नहीं जाते । हमें चाहिए कि हम इस प्रकार के पोस्टर रेलवे स्टेशनों, सरकारी जमीनों और म्युनिसिपल कमेटी की जमीनों पर न लगने दें । इन जगहों पर हमें उन्हें पोस्टर लगाने की इजाजत नहीं देनी चाहिए । इतना ही मेरा कहना है । इस पर आप सोचें तो मैं समझती हूँ कि फायदा होगा ।

हिन्दुओं को लगता है कि जितने भी कानून आप इस तरह के पास करते हैं वे खाली हिन्दुओं पर ही क्यों लागू किए जाते हैं । दूसरों पर उन को क्यों लागू नहीं किया जाता है । मुझे तो इस में कुछ नहीं है लेकिन हिन्दुओं को मैं इस तरह की बातें कहने हुए सुनती हूँ । बराबर इस तरह के कानूनों को हम पर ही क्यों लागू किया जाता है । अगर रिफार्म करना है तो सब कौमों का रिफार्म आपको करना चाहिए । बोहरा लोग बचारे कितने ही सत्याग्रह कर चुके हैं । उन्होंने विवाह और शादी के तरीकों में रिफार्म के लिए सत्याग्रह किया था । उनके गुरु के पास जा कर उनकी शादियां होती थीं । वे चाहते थे कि इस में सुधार हो । वे लोग क्या चाहते हैं इसके बारे में भी आपको सोचना चाहिए और रास्ता निकालना चाहिए ।

कोई भी कानून हो, किसी भी प्रकार का हो उसको आपको सब कौमों पर लागू करना चाहिए । इतना ही खास तौर पर कहने के लिए मैं खड़ी हुई थी ।

SHRIMATI PARVATHI KRISHNAN (Coimbatore): Madam Chairman I have the pleasure of supporting this Bill and also I am glad that the Minister is going to accept the amendments that I have proposed. But I would like to say one thing and that is that mere bringing of a measure like this is not going to help to eradicate child

[Smt. Parvathi Krishnan]

marriage because as the previous speaker said, I think, it was Shrimati Goswami, that the Sarda Act was passed many years ago, but still we find child marriage is taking place of very very young children and so on mostly in the rural areas, particularly amongst the weaker sections and the tribal areas. But I remember that when we were discussing the Hindu Marriage Act here in this House, there were Members who came from Rajasthan, who valiently fought for this question of the age being lowered saying that it is a very common practice in some of the communities and even in advanced communities for the girls to be married at a younger age and it goes against the sentiment of the people and so on and so forth. Therefore, the way the Minister has posed it is what gives me the qualms. It is only a question of population control? Is it only a question of seeing that the girls should not be married at an earlier age because they start bearing children at that age? If that is the narrow approach, I have my fears that this Bill will continue only to remain on the Statute book. Because what really is necessary is to understand that we are asking for the girls to be 18 because that is the age when a girl as a person is grown enough to be a knowledgeable mother and to be a good wife and a good housewife. This is the basic point that I look at and that is what will also enable her to understand the advantages of having a small family, enable her to accept the small family norm. These are the things which cannot be done by compulsion. But once she has reached a certain age of maturity, on the one hand she will be a good mother and on the other hand she will also be someone who will be a good and knowledgeable citizen, which means that by the time she reaches that marriageable age, there should be the infrastructure to help her to develop and flower in that manner. In other words the educational system needs to be also reoriented and education has to

reach the farthest corners of our country. It is not only a question of illiteracy, it is a question of eradicating the illiteracy on the one hand and of having a proper educational system on the other hand. For instance, today you see the whole controversy is going on the 10 plus 2 and those who are going into the 11th class this year do not even know what are the job opportunities before them and this involves girls as well as boys. The question of a perspective, a national perspective in which all of us are equally involved is extremely important and therefore, you cannot divorce this problem from the socio-economic problems that face the country today and it has got to fall into a place where this is to be implemented because this is the ideal, but I have absolutely no illusion that it is going to come into being in a very short time. It cannot be achieved unless and until we achieve progress in other fields also, in the social field, in the cultural field and in the educational field.

Another thing, Madam Chairman, is the status of Women Commission Report which has been already very widely quoted. So I do not want to go into that. But what is important is this. One most important recommendation of theirs was the question of registration of marriages, because it links up with this problem. That is why they have stressed it. In India to-day, I don't think we have even ratified the UN Convention on compulsory registration. When the Hindu Marriage (Amendment) Bill was being discussed here, we had raised this point; and we had been given an assurance that this would be brought before the House at a very early date. Therefore, I would appeal to the Minister that in consonance with this bill and in consonance with this perspective he should also go into this matter and bring forward at a very early date, a bill for the compulsory registration of marriages, because it would then go side by side; and I



think that will help. It is no good having this piece-meal legislation. For the last 30 years, we have been having piece-meal legislation one after the other. Some comprehensive bill and perspective should be there.

With all the hilarity of Mr. Vayalar Ravi, I am sure he will not object to the fact that we should have compulsory registration. (*Interruptions*). He might have registered his marriage. My own marriage was registered long before he was born.

Madam Chairman, while I don't have to appeal to the Minister about the amendment—he has accepted it—I would say that he should take this matter very seriously. It is not only a question of looking whether Police will be able to go with or without a warrant. It is a question of educating our people and raising their cultural and social levels, so that they understand the import of this Bill. For Heaven's sake, let not the emphasis be on population control. It is as though we are saying: "don't get married; and if you get married, when you should meet your husband, and when not." The point is that if the girl is old enough, she will know what her life is, and what her tasks and responsibilities are. If, similarly, the potential father is also old enough to understand his responsibilities, together they will also understand the need for a small family norm, not only in terms of population control but in the interest of the family itself.

And along with this comes the whole idea of social security. When Mr. Ravi spoke, he talked about children being property. I consider them as wealth. People feel: "These are the people who will look after me while I am old." These children are not only the security of the society, but also of the citizen. In some areas, people feel "that a daughter is a daughter all her life; and son is a son till he takes a wife." In another area, only sons are considered as security. They feel "It is only our son

who is going to look after us in our old age."

You want to have a small family norm, so that children will get adequate attention. I think there is another aspect, viz., the social security aspect, for the parents in their old age. Therefore, the social security aspect should also be taken into consideration. Unless and until the State assures the people of the country that in their old age, they will be looked after and not be thrown on the streets. Unless that is there, this whole question of a small family norm is not going to take root in our country. Therefore, I would tell the Minister this—obviously social security is not his field,—and I am talking to him as representing the Government, and not as belonging to one Ministry or the other viz., that an overall policy is necessary, so that you can see that social reform measures like this do get implemented and do become part and parcel of the daily lives of the people of our country.

श्री राम किशन (भारतपुर) : चेयर मैन साहिबा, जो विधेयक माननीय कानून मंत्री जी ने रखा है, मैं इसका समर्थन करने के लिये खड़ा हूँ। जहाँ तक इस बिल का सम्बन्ध है, इसमें विरोध लायक कोई बात नहीं है और/ ऐसा भी कोई मुद्दा नहीं है, जिस पर सदन का प्रत्येक सदस्य सहमत न हो। लेकिन इस बिल का जो उद्देश्य है और जिस कारण से इसको सदन में प्रस्तुत किया गया है, इससे सीमित/माना में एक लक्ष्य की प्राप्ति होगी और वह इसलिये भी कि जहाँ तक इस बिल के उद्देश्य का सवाल है, हम यह चाहते हैं कि हमारे देश की जनसंख्या पर नियंत्रण किया जाय, बढ़ती हुई जनसंख्या को रोका जाय। यह एक प्रमुख उद्देश्य है। इसके साथ ही साथ स्वास्थ्य का सवाल भी जोड़ दिया गया है। लेकिन इस सम्बन्ध में मेरा कहना यह है कि हमारे देश की जो अर्थिक और सामाजिक परिस्थितियाँ हैं, उनमें जब तक मौलिक परिवर्तन नहीं किया

## [श्री राम किशन]

जायेगा, जिसका जिक्र अभी माननीय सदस्या श्रीमती पार्वती कृष्णन कर रही थीं, कि वह एक बहुत बड़ा मौलिक सवाल है, तब तक स्थिति में सुधार नहीं हो सकता। हमारे देश में शर्दा केवल सन्तान पैदा करने के लिये ही नहीं बल्कि जीवन की सुरक्षा के लिये भी बहुत आवश्यक समझी जाती है। जिस देश में 35,40 प्रतिशत लोग गरीबी की रेखा के नीचे रहते हैं, उन्हें केवल कानूनों के द्वारा इन कर्मों से नहीं रोका जा सकता है।

मैं माननीय मंत्री से चाहूंगा कि जिन हालात में जनता पार्टी आई है, उस समय जनता की जो अपेक्षाएँ थीं, उनको पूरा करने की दिशा में अगर वह कार्य करेंगे तो हमारा सीमित उद्देश्य भी एक विशाल उद्देश्य में परिवर्तित हो जायेगा और जिस उद्देश्य के लिये यह विधेयक लाया गया है उसमें सफलता मिलेगी।

इसके साथ ही साथ कुछ दूसरे सवाल भी जुड़े हुए हैं। माननीय सदस्य श्री वयालार रवि चाहते हैं कि पुरुषों की आयु भी 18 वर्ष कर दी जाये। वह यह किस लिये चाहते हैं उसका दूसरा पहलू भी है। यह नर नारी की समानता का सवाल नहीं है न उनके अधिकार का सवाल है। मेरी राय में बढ़ती हुई आबादी को रोकने के लिये जो वर्तमान उम्र रखी गई है, यह भी कम है। पुरुष की उम्र 25 साल और महिला की उम्र 21 साल रखनी चाहिये, यह बहुत आवश्यक है। आज भी शहरी क्षेत्र के सम्पन्न लोगों के बच्चों की शादी देर से होती है लेकिन ग्रामीण क्षेत्र में खासकर पिछड़े वर्ग के लोगों में शादी जल्दी हो जाती है। इसलिए चाहें कानून के माफ़त या समाजिक शिक्षा के माफ़त हमें उन वर्गों को चेतन कर के जल्दी उम्र में शादी करने के नतीजे समझाने चाहिये जो कि हमारे समाज को भोगने पड़ेंगे। उसमें मुसलमानों का वर्ग सबसे ज्यादा दुखी और पीड़ित है। हमें इन सब बातों पर पूरी तरह से ध्यान रखना होगा।

इसके अलावा दूसरी चीजें भी हमें देखनी होंगी। जहाँ हम बाल विवाह को रोकने की कोशिश कर रहे हैं वहाँ विधवा और विधुरों के विवाहों को रोकने के लिये भी कानून लाना चाहिये। एक समय था जब प्रायः समाज ने आन्दोलन चलाया और उस समय खास कारण था कि विधवा का दोबारा शादी हो। आज हमारे देश की यह आवश्यकता है कि जो विधवा 40 वर्ष और विधुर 45 वर्ष के हो गये हैं और जिनके तीन बच्चे हैं उनको दोबारा शादी की इजाजत नहीं दी जानी चाहिये। लेकिन इसके पीछे एक सामाजिक सवाल भी खड़ा हो जाता है। कुछ जातियाँ ऐसी हैं जिन में जो विधवा हो जाती है वह दुबारा शादी इसलिए करती है कि उनके पास आर्थिकता का कोई साधन नहीं होता है। इसलिये हरिजनों, आदिवासियों और पिछड़े वर्गों में शादी को जीवन की सुरक्षा के लिये आवश्यक समझा गया है। अगर हम उनकी सुरक्षा की स्थिति पैदा कर दें तो यह वातावरण बनाया जाना चाहिये कि पुरुष और महिला जो विधवा अथवा विधुर हैं और उनके तीन बच्चे हैं उनको दोबारा शादी की इजाजत नहीं दी जाये। इससे दो तरह के समाधान होंगे। एक तो हमारे समाज में इस प्रकार की शादी से पहले बच्चों का जो जीवन कष्टमय हो जात है उससे बचा जा सकेगा और दूसरे बढ़ती हुई जनसंख्या पर रोक भी लगगी।

एक तीसरा सवाल यह खड़ा होता है कि जब शादी देर से होंगी तो यह बात मानकर चलना चाहिये, जैसे कि सदन में कहा गया है कि हमारे समाज का वातावरण किस तरह पर स्वाधीनता के बाद बिल्कुल पश्चिम की तरह का बना दिया गया है और अंग्रेजियत का इतना प्रभाव है कि यहां बुरी भावनाएँ फैलेंगी। एक तरफ ऐसा वातावरण होगा, दूसरी तरफ औद्योगिक सभ्यता का विकास होगा, तीसरे शादी देर से होंगी तो अवैध संतान बढ़ेगी। इसलिये जब शादी की उम्र बढ़ाने की बात

सोचते हैं तो प्रवैध संतान के निराकरण की जिम्मेदारी भी समाज और सरकार को लेनी चाहिये ।

आज हमारे समाज में प्रवैध संतानों को बहुत घृणा की दृष्टि से देखा जाता है । गलती होती है मां बापकी, लेकिन दंड उन्हें भुगतना पड़ता है । इस स्थिति के निराकरण की जिम्मेदारी भी सरकार को लेनी होगी । शादी को उम्र बढ़ाने के साथ इस प्रकार की संभावनायें प्रकट होंगी । उन्हें कोई रोक नहीं सकता है । यह एक वास्तविक सत्य है, जिसे हमें स्वीकार करना होगा ।

मंत्री महोदय ने कहा है कि इस कानून के उल्लंघन के मामले को पुलिस इनवेस्टिगेट करेगी, मगर उसे मैजिस्ट्रेट से वारंट लेना होगा । आज हमारे देश के ग्रामों में कुछ वर्गों में बच्चों की 15, 16 या 17 साल की उम्र में शादी होती है । लेकिन उन लोगों के पास उम्र का कोई प्रमाण नहीं होता है— और हो/भी नहीं सकता है, क्योंकि आज हरिजन, गिरिजन और आदिवासी आदि जो लोग गरीबी की रेखा के नीचे रह रहे हैं, उन में साक्षरता की औसत आज भी 15, 20 प्रतिशत से भी कम है । मेरा निवेदन है कि उन लोगों के लिए शादी के सम्बन्ध में उम्र का प्रमाण देना कठिन हो जायेगा ।

इसलिए यह आवश्यक है कि हमारे देश में जन्म और मौत का रजिस्टर ग्राम पंचायत के पास हो । कुछ राज्यों ने ऐसी व्यवस्था कर भी रखी है । यदि हर राज्य में यह व्यवस्था हो जाये, तो कोई विवाद होने पर कोई भी व्यक्ति ग्राम पंचायत की मार्फत सफाई दे सकेगा कि बच्चे की उम्र कितनी है । अगर ऐसी व्यवस्था नहीं की जायेगी, तो पुलिस के पास कुछ ऐसे अधिकार बच जाते हैं, जिनके द्वारा वह गरीबों को परेशान कर सकती है ।

जहां तक इस विधेयक का सम्बन्ध है, यह स्वागत योग्य है और सभी सदस्य इस का समर्थन करेंगे । लेकिन हमें आवादी की पूरी समस्या के बारे में नये ढंग से सोचना पड़ेगा । खास तौर से विकासशील देशों में, और उनमें भी दरिद्र वर्ग के लोगों में, आबादी की समस्या बहुत गम्भीर है । हमारे देश में सम्पन्न और धनवान् लोगों के यहां संतानें कम होती हैं, जबकि गरीब लोगों के यहां संतानें ज्यादा होती हैं, क्योंकि उन में शरीर के साथ मन पर काबू पाने की शक्ति भी कम होती है ।

इसलिए जरूरत इस बात की है कि गरीबों की निर्धनता को दूर किया जाये, साक्षरता में वृद्धि की जाये, उन्हें परिवार के प्रति जिम्मेदारी समझाई जाये और समाज तथा राष्ट्र की समस्याओं का ज्ञान कराया जाये । अगर जरूरत हो, तो स्कूलों में भी संक्षेप-शिक्षा का प्रबन्ध करना चाहिए । इस में कोई शिक्का नहीं होनी चाहिए । औद्योगिक सभ्यता के परिणाम हमारे सामने आयेंगे और हम उनसे बच नहीं सकते हैं । इस बात की आवश्यकता है कि हम अपने नवयुवकों और नवयुवतियों को प्रशिक्षित करें कि उन की भविष्य की जिम्मेदारी क्या है और अगर उन्होंने उस जिम्मेदारी को न निभाया, तो क्या कुपरिणाम सामने आ सकते हैं । अगर हम इस दिशा में प्रयत्न करें, तो हमें सफलता मिल सकती है ।

हमारे समाज में लड़कियों की शादी केवल सुरक्षा की दृष्टि से नहीं की जाती है । हमारे धार्मिक ग्रन्थों और हमारी सांस्कृतिक परम्परा के अनुसार छोटी लड़की की शादी करना बहुत पुण्य की बात है । हमारे नीति शास्त्रों में कहा गया है कि दस साल की लड़की की शादी करने का मतलब है गौरी की शादी का पुण्य-लाभ प्राप्त करना । इसलिए जहां हमें कानून बनाना पड़ेगा, वहां

[श्री राम किशन]

अपनी सांस्कृतिक विरासत में हमें जो बुराइयां/ मिली हैं, हमें उन का भी खण्डन और निराकरण करना पड़ेगा। जब किसी काम को धर्म के साथ जोड़ दिया जाता है, तो मामला बिकट हो जाता है। कुछ व्यक्ति किसी अच्छे कदम को भी धर्म के खिलाफ बताकर सरकार के काम को कठिन बना सकते हैं। इसलिए हमें इस देश के धार्मिक ग्रन्थों और धार्मिक समुदायों को दृष्टि में रखते हुए अपने समाज का पुनर्निर्माण करना होगा, ताकि हम उसे एक सही दिशा में ले जा सकें। 10

जहां तक उम्र का सवाल है, मैं समझता हूँ कि इस कानून में जो उम्र रखी गई है, वह काफी नहीं है। आज हमारे देश में चेतना है—महुरों में तो निश्चित रूप से चेतना है। इस लिए इस उम्र को और बढ़ाया जाए। जब समाज के कुछ वर्गों के जीवन का स्तर बढ़ रहा है, पिछले 25 सालों में मृत्यु दर/ कम हो गई है और जन्म दर घटने के साथ-साथ आदमी की आयु भी बढ़ रही है तो उस समय 21 साल उम्र कम है। 21 साल और 25 साल अगर हम करेंगे तो कुछ निश्चित चीज प्राप्त कर सकेंगे।

एक तीसरी चीज भी है। इसमें कुछ वैज्ञानिकों और जीवशास्त्रियों का दूसरा मत भी है, जल्दी शादी करने और देर में शादी करने में कुछ नफा नुकसान भी गिनाया जाता है। मैं न कोई जीव-शास्त्री हूँ न कोई धार्मिक पुरुष हूँ। मैं केवल इतना समझता हूँ कि जो ये धारणाएं हैं इन सब धारणाओं को निर्मूल करने के लिए हमें व्यापक साहित्य की जरूरत है। जैसे हमारे पड़ोसी देश इसी तरह के साहित्य के मार्फत और प्रचार के मार्फत एक स्थिति पैदा कर रहे हैं, उसको हमें समझना चाहिए और उनको समझाना

चाहिए। इन्हीं शब्दों के साथ मैं मंत्री जी से कहना चाहूंगा कि जो उम्र की बात उन्होंने रखी है उस को दोबारा ठीक करें।

इसके साथ-साथ एक सुझाव और रखना चाहता हूँ। नौकरियों में चाहे वह सरकारी नौकरियां हों या बोर्ड वगैरह की हों उनमें प्राथमिकता देते वक्त गरीब और बेरोजगार लोगों के सम्बन्ध में नीति निर्धारित करते हुए एक चीज का ध्यान और रखना चाहिए कि जो कुंवारे लोग होंगे या जो कुमारियां होंगी उनको इन नौकरियों में ज्यादा मौका दिया जाएगा और जब उन के तीन से ज्यादा बच्चे हो जाएंगे तो उनको मिलने वाली सुविधाओं को कम कर देंगे। इस प्रकार के कुछ कदम हम ने उठाए तो हम आबादी पर नियंत्रण पा सकते हैं अन्यथा उम्र से शादी का कोई सम्बन्ध नहीं है। कोई पांच छः साल के भीतर भी पांच छः बच्चे पैदा कर सकता है और कोई तीस साल में एक भी बच्चा नहीं पैदा कर सकता। इन सब बातों को ध्यान में रखना चाहिए।

~~संभवतः महोदय~~ जब मैं घंटी बजाती हूँ तो कृपया समाप्त करने का प्रयास करें। राम किशनजी ने लिखा था कि मैं साल भर नहीं बोला हूँ तो साल भर की बात एक साथ ही तो नहीं पूरी करनी है।

\*SHRI A. SUNNA SAHIB (Palghat): Madam Chairman, the Child Marriage Restraint (Amendment) Bill, which is under discussion, seeks to raise the minimum age of marriage from fifteen to eighteen for females and from eighteen to twenty-one for males. I extend my wholehearted support to this Bill as there is an urgent need to check the growth of population in the country. The provisions of this Bill if enforced effectively will result in lowering the total fertility rate on account of lesser

\*The original speech was delivered in Tamil.

span of married life. As the statement of objects and reasons says, it will also result in more responsible parenthood and in better health of the mother and child.

Here we have to bear in mind the prevalent environmental and economic conditions throughout the length and breadth of the country. This assumes grave significance when we legislate for a social cause. The provisions of this Bill will be affecting the entire society, whether it is rural or urban. The penal provisions of the Bill can be easily comprehended by the urban elites. Besides the legal compulsions the people in urban centres are influenced greatly by the social considerations and on their own they endeavour to limit their families.

Madam Chairman, as you are aware, India is not just a garden of fragrant roses only. In fact, our country has the largest rural landscape inhabited by majority of innocent and illiterate people whose very life is an economic burden for them. They are steeped in age-long social customs and traditions. If their shackles of superstition are to be broken, if they are to achieve a semblance of economic and social equality with their brethren in urban centres, our prime aim should be to usher in an era of social revolution in addition to implementing measures for economic regeneration. It is not enough to incorporate something in a legislation. Along with this, the social awareness must be aroused. The people of the country, particularly the rural-folk, must be made to realise the economic necessity of having a small family. They must be made to know that by raising the minimum age of marriage the growth in population can be curbed. As I mentioned at the outset, the people in the rural areas do want to get rid of their social burden by marrying their daughters at an early age. Secondly, because of economic compulsions the children become working force for them. This

nullifies the efforts of the Government in propagating the concept of small family..

I belong to a minority community and I am personally aware that even today among Muslims the girls are married at the age of 10, 13, 14. I do not want to elaborate much on this kind of hereditary social customs in different communities of our country. For that matter, in our country it is considered a sacred duty of the parent to marry the daughter before she matures. I refer to this because I am sure that along with legislative steps other steps must also be taken so that the common people know the efficacy of delayed marriage.

While I support this Bill, I would go one step further and suggest that the minimum age of marriage for a female must be raised to 21 and for the male it must be 25. You know, Madam, that the girl or a boy reaches the age of 21 if he or she has to complete M.A. course, after which only he or she can try to settle in life. Besides the necessity of curbing the growth of population, the economic independence conduces for a happy family. So the basic criterion for this kind of a legislation must be based on an All-India angle, to meet the requirements of entire society in the country and not merely from one point of curbing the growth of population.

What I have suggested may not be necessary at this juncture, but I am sure that the Government will have to take such a step within the Course of a decade. The circumstances will compel the Government to raise the minimum age of marriage for a female from 18 to 21 and for a male from 21 to 25.

I am grateful to you for having given me an opportunity to participate in the discussion on this important piece of legislation having social ramifications.

श्री श्रीमन् प्रकाश स्वामी (बहराइच) :  
सभापति महोदय, मैं इस विधेयक के लिए  
मंत्री जी को हार्दिक धन्यवाद और बधाई  
देता हूँ। उन्होंने इस विषय में एक बहुत  
अच्छा कदम बढ़ाया है। इस विधेयक में पीछे  
मंत्री जी ने जो उद्देश्य बताया है, मेरे दृष्टिकोण  
में यह बहुत छोटा उद्देश्य है लेकिन आज वही  
बहुत बड़ा उद्देश्य बना हुआ है परन्तु वास्तविक  
उद्देश्य इससे कहीं ऊंचा है और वह यह है कि  
मानव एक सुखी परिवार की रचना कर सके।  
मैं समझता हूँ कोई भी व्यक्ति जो वह अपने  
जीवन में एक सुखी परिवार चाहता है।  
सुखी परिवार के लिए एक आवश्यक बात  
यह है कि वर और वधू दोनों सुयोग्य हों और  
विवाह के सम्बन्ध में उनमें पूर्ण योग्यता हो।  
मैं समझता हूँ कि यह पहला लक्ष्य है। पूर्ण  
योग्यता प्राप्त करने में मैं समझता हूँ कन्या  
में स्वाभाविक रूप से बहुत जल्दी बुद्धि का  
विकास होता है। लड़कों की अपेक्षा कन्याएँ  
ही बहुत जल्दी सुयोग्य बन सकती हैं। लड़कों  
की अपेक्षा लड़कियों में जल्दी सुयोग्य बनने  
की क्षमता अधिक होती है। यदि लड़कियों को  
सौका मिले तो 16 वर्ष की आयु में सुयोग्य  
बन सकती हैं और लड़कों 25 वर्ष की आयु  
तक सुयोग्य बन सकते हैं। इस आयु में वे  
जो बात ग्रहण कर लेंगे, जो भी योग्यता प्राप्त  
कर लेंगे वह उनके लिए अच्छा रहेगा। 25  
वर्ष की आयु तक मनुष्य में शारीरिक और  
बौद्धिक विकास चलता रहता है। यह आयु  
उनके विकास की आयु रहती है और इसको  
सुरक्षित रखने की आवश्यकता है। रवि जी  
ने कहा कि 18 वर्ष की आयु में ही भोग क्यों  
न करें, मैं कहना चाहूँगा कि सम्भवतः वे  
पश्चात्त्य सभ्यता में पले लगे हैं जहाँ पर  
शादी का एक मात्र लक्ष्य एंजायमेंट रहता है  
परन्तु भारत वर्ष में शादी का लक्ष्य एंजायमेंट  
नहीं है बल्कि एक सुखी परिवार और सुखी  
जीवन का लक्ष्य रहता है तथा समाज को  
उत्तम संतान देना होता है। फिर तो मैं कहूँगा  
कि 18 वर्ष की आयु की सीमा ही क्यों रखी

जाये, आजकल तो लड़के 15-16 वर्ष की  
आयु में ही सड़कों पर खुराफात करते हैं।  
मैं कहता हूँ 18 वर्ष में यदि उसकी शादी हो  
जायेगी तो वह स्कूल कालेज और पढ़ाई को  
ताक पर रख देगा, पढ़ने जायेगा नहीं बल्कि  
भावारा बन जायेगा। यही अवस्था लड़की  
की है। लड़की की अवस्था तो और भी  
दयनीय हो जाएगी। मैं समझता हूँ कि लड़का  
तो किसी न किसी तरीके से भीख मांग कर,  
इधर-उधर घूम कर भी कुछ-न-कुछ काम  
कर लेगा। लड़की बिचारी क्या करेगी अगर  
वह सुयोग्य नहीं है। अगर पति नालायक  
निकल गया, उसे छोड़ कर चला गया, लड़की  
पढ़ी-लिखी भी नहीं है तो वह अपने पैरों पर  
भी खड़ी नहीं हो सकेगी। ऐसी हालत में उसे  
किसी न किसी पर निर्भर रहना पड़ेगा।

एक सामाजिक कार्यकर्ता होने के नाते  
मैंने अपने जीवन के पिछले तीस-पैंतीस सालों  
में एक-दो नहीं, हजारों लड़कियों को बंध्या  
बन कर बैठे हुए देखा है। किस कारण से ?  
वचन में विवाह हो गया, विधवा हुई या  
घर छोड़ कर भाग गयी और पड़वा दो गयी  
बंध्याओं के कोठे पर। यह दशा उन बेचारी  
लड़कियों की रहती है जो सुयोग्य नहीं बन  
पायी हैं। इसलिए आवश्यक है कि लड़कियों  
और लड़कियों को पहले सुयोग्य होना चाहिए  
तभी उनका विवाह होना चाहिए ताकि वे  
अपने जीवन को अफले भी चला सकें।

दूसरे विवाह करने से पहले वर-वधू  
अपने कर्तव्य के प्रति अच्छी तरह से जागरूक  
होने चाहिए कि हमारा कर्तव्य क्या है, हमारा  
गृहस्थ जीवन क्या होगा ? वे यह अच्छी  
तरह से जानते हों कि उन्हें माना-पिता बनने  
पर किस प्रकार रहना है। उन्हें बच्चों के  
पालन-पोषण का ज्ञान हो। इसलिए उन्हें  
अपने कर्तव्य को पूरी तरह से जानना चाहिए।

मैं समझता हूँ कि विवाह का लक्ष्य शारीरिक सौन्दर्य या उसका उपभोग नहीं है। पश्चात्प देशों में यह लक्ष्य हो सकता है। भारत में शारीरिक सौन्दर्य न हो कर विवाह के लिए आवश्यक शर्तें हैं गूण, कर्म और धर्म का पालन। जब तक लड़के-लड़कियों में यह ज्ञान नहीं हो जाता तब तक उनका विवाह सफल नहीं हो सकता।

पहले क्या होता था कि नाई या ब्राह्मण जा कर लड़का या लड़की देख आता था और मां-बाप शादी कर देते थे। इस तरह से लड़के और लड़की को एक दूसरे से बांध दिया जाता था और इस तरह से दोनों को एक-दूसरे के साथ अपना जीवन बर्तीत करना पड़ता था। यही विवाह उन लिये निक भी बन जाता था और स्वर्ग भी बन जाता था। हमारी यह परम्परा रही है और हमारी मान्यता भी है कि लड़के और लड़की को अपना साथी स्वतंत्र रूप से चुनने का अधिकार हो तभी विवाह सफल होता है। वे अपना जीवन-साथी स्वयं चुनें, ऐसा हमारा प्रयत्न होना चाहिए।

तीसरी चीज यह जानना चाहिए कि जब तक लड़के और लड़कियाँ स्वावलम्बी नहीं हो जाते तब तक उन्हें विवाह का अधिकार नहीं होना चाहिए। कम से कम लड़के को तो स्वावलम्बी होना ही चाहिए। अगर वह 25 साल तक या 30 साल तक भी स्वावलम्बी नहीं बनता है तो उसे विवाह करने का अधिकार नहीं होना चाहिए। जब लड़के और लड़की पूर्ण रूप से स्वस्थ हो जाएं, उन्नत हो जाएं, वैज्ञानिक दृष्टिकोण से उत्तम संतान-वे समाज को दे सकें तभी उन्हें विवाह करने का अधिकार होना चाहिए। छोटी आयु में कोई स्वावलम्बी नहीं बन सकेगा।

इसलिए मैं अपने मंत्री महोदय से कहना चाहूँगा कि वे इन अवस्थाओं पर भी विचार

करें। मैं इस बिल के संबंध में अपना संशोधन देना चाहता था लेकिन दे नहीं पाया। मैं समझता हूँ कि लड़के की आयु कम से कम पच्चीस साल रखनी चाहिए। लड़की की आयु अपने 18 रखी है। वह ठीक है। इस आयु में वह योग्यता प्राप्त कर लेगी। यह लड़की की निर्निमम आयु है।

यहां पर एक बात कही गई है और धार्मिक ग्रन्थों की ओर संकेत किया गया है। मैंने भी उनको थोड़ा बहुत देखा है। उनमें कहीं पर भी इस प्रकार के बाल-विवाह का समर्थन नहीं किया गया है। मध्य काल में लोगों ने कुछ ग्रन्थ बना लिये थे और तब कुछ समर्थन इसका कर दिया गया था। लेकिन यह चीज गलत है। बंगाल में तो विवाह गर्भावस्था में ही हो जाते थे। दो स्त्रियों के गर्भ ठहरा, दोनों ने तय कर लिया कि तुम्हारे लड़का हुआ और मेरे लड़की हुई तो शादी कर देंगे और शादी कर दी जाती थी। अगर कहीं लड़का मर गया तो लड़की बेचारी विधवा हो जाती थी। पांच-पांच और चार-चार साल की लड़कियाँ विधवा हुईं मैंने उन्हें देखा था। अनेकों घटनाएं इस प्रकार के बाल-विवाह की मैं जानता हूँ। इस तरह की घटनाएं भी देखने को मिली हैं कि स्टेशन पर दो बारातें आईं, वधुओं को वहां बिठा दिया स्टेशन पर, पास-पास, और जब ट्रेन चली तो एक बारात वाले दूसरी ही लड़की को उठा कर ले गए और बाद में कहीं जाकर पता चला कि यह वधू तो हमारी नहीं है। इस प्रकार की शादियाँ और घटनाएं भी होती हैं।

श्री शारदाजी ने एक स्वप्न को साकार करने के लिए बिल बनाया था। वह बिल 1929 में पेश किया गया था और वह पास हुआ। उस समय चौदह वर्ष लड़की की आयु और 18 वर्ष लड़के की रखी गई थी।

[श्री श्रीम प्रकाश त्पागी]

1949 में उसमें परिवर्तन हुआ। तब लड़की की आयु 15 कर दी गई। लेकिन आप देखें कि आज तक बाल विवाह होते रहे हैं और हो रहे हैं। राजस्थान में सामूहिक रूप से आपने समाचारपत्रों में पढ़ा होगा कि दो सी बच्चों के माता-पिताओं ने बच्चों को गोदी में बिठा कर उनकी शादियां कर दीं। वे इस बात को पवित्र मानते हैं कि फलां तिथि में और फलां गुरु शादी कराएं। सरकार देख रही है कि यह जो कानून है यह रद्दी की टोकरी में पड़ा रहा है। मुझे भय है कि यह जो कानून आप बना रहे हैं यह भी कहीं रद्दी की टोकरी में न पड़ा रह जाए। यों आपने इस कानून में कहा है कि मैजिस्ट्रेट के वारंट से कार्यवाही होगी और इसको आपने कागनिजेबल आफेंस भी बनाया है। इसके लिए आप दंड क्या देते हैं यह नहीं बतलाया। पहले वाले कानून में जो कमी थी उसको आपने ऐसा करके पूरा कर दिया है। उसमें कुछ नहीं था। दो एकट हैं जो तमाशा बन कर रह गए हैं। एक दंज प्रथा को दूर करने के लिए जो कानून बनाया गया था वह और दूसरा बाल विवाह दूर करने के लिए बनाया गया कानून। दोनों बेकार और रद्दी की टोकरी में पड़े हैं। यह गवर्नमेंट की बुद्धि का दीवालियापन प्रकट करता रहा है। आपने इसमें अब सुधार किया है। कागनिजेबल आफेंस इसको बनाया है। लेकिन सजा क्या होगी? मैजिस्ट्रेट वारंट देगा या नहीं? क्या ऐसा नहीं हो सकता है कि देहात में पुलिस रिश्बत लेकर कोई केस हॉन करे। कोई भी आदमी शिकायत करे तो पुलिस को एक्शन लेना पड़े और केस चले माता-पिता के खिलाफ यह चीज होनी चाहिये और मैं इस चीज को मानता हूं।

आप जनसंख्या की वृद्धि को रोकना चाहते हैं। मैं समझता हूं इसके लिए आपको बहुत कुछ और भी करना होगा। बहन जी ने जो बात कही है वह सही है। हमारे यहां बच्चों

की तादाद इसलिए ज्यादा होती है कि माता-पिता बच्चे को अपने परिवार की सुरक्षा के लिए आवश्यक मानते हैं। भारत को विल-फेयर स्टेट आप बनायें जिसमें लोगों के जीवन की सुरक्षा हो, बेकारों को काम करने का अधिकार मिले, उनको बुढ़ापे में पेंशन मिले। अगर ये सब जिम्मेदारियां सरकार ले तो संतानों पर नियंत्रण हो सकता है। नहीं तो बुढ़ापे में कोई पूछने वाला नहीं होगा। उनको बच्चों का सहारा लेना पड़ेगा। कानून के पश्चात् भी बहुत कुछ रेवोल्यूशन आपको लाना पड़ेगा। जैसा बहन जी ने कहा जिस प्रकार की फिल्में आप बनवा रहे हैं, गाने हमारे बच्चों को सुनवा रहे हैं उससे तो बहुत खराबियां पैदा हो रही हैं। आप डाक्टरों के पास जाकर पता लगा सकते हैं कि नाटालिग, कम आयु की लड़कियां कितनी एवार्शन करवा रही हैं। वातावरण गन्दा बना हुआ है। अगर जनसंख्या पर कंट्रोल नहीं किया गया तो देश की स्थिति भयंकर हो जाएगी और हम किसी भी दिशा में प्रगति नहीं कर सकेंगे।

आप कुछ कर रहे हैं, लेकिन स्वास्थ्य मंत्रालय को भी प्रेरणा दीजिये ताकि थोड़ा-बहुत इस दिशा में प्रगति करें।

16.00 hrs.

इस देश में जनसंख्या पर नियंत्रण आवश्यक है। परन्तु साथ ही यह कहना चाहता हूं कि इस विधेयक में जो कुछ और कमजोरियां रह गई हैं उनको भी थोड़ा दूर करने की चेष्टा करें ताकि बाल विवाह करने वाले पकड़ में आ सकें। अन्त में एक बात विधि मंत्री जी से और पूछना चाहूंगा, वह यह कि मैंने जहां तक समझा है, विवाह की प्रथा का धर्म से कोई सम्बन्ध नहीं है। यह आर्थिक प्रश्न है, यह व्यक्ति से सम्बन्ध रखता है, और सरकार की पोलिसी सेक्यूलर है, परन्तु जब मैं विधेयक पढ़ रहा था, तो आश्चर्य में पड़ गया यह पढ़कर कि यह बिल हिन्दू मैरिज एक्ट में परिवर्तन



करेगा, क्रिश्चियन मैरिज एक्ट में परिवर्तन किया जायगा। क्या आपकी दृष्टि में ईसाई और हिन्दू ही बच्चे पैदा कर रहे हैं? इसमें क्या संस है? अगर आप का लक्ष्य जनसंख्या पर नियंत्रण करना है तो भारतवर्ष में जितने भी ऐक्ट हैं, कोई भी हो, सब पर लागू करना चाहिये।

**SHRI SHANTI BHUSHAN:** This Bill applies to all.

**श्री श्रीम प्रकाश त्यागी :** इस बिल के उद्देश्य और कारण में क्या लिखा है जरा उसको देखिये :

"The Bill seeks to amend the Child Marriage Restraint Act, 1929, to increase the minimum age of marriage from fifteen to sixteen for females and from eighteen to twenty-one for males and to make consequential amendments in the Hindu Marriage Act, 1955, and the Indian Christian Marriage Act, 1872."

**SHRI SHANTI BHUSHAN:** The principal Act applies to all religions and, therefore, this Child Marriage Restraint (Amendment) Bill which seeks to raise the marriage age to 16 for girls and to 21 for boys applies to all people.

**श्री श्रीम प्रकाश त्यागी :** अगर सब पर लागू है तो मैं आपको हार्दिक धन्यवाद देता हूँ और इस संशोधन का स्वागत करता हूँ। अन्यथा यह विधेयक लंगड़ा रहता। इन शब्दों के साथ मैं इस बिल का समर्थन करता हूँ।

**SHRI VAYALAR RAVI:** No, Sir. this amounts to communalism which is very wrong.

**श्री नाथू राम सिन्हा (नागौर) :** समाप्ति महोदया, मैं इस कानून का विरोध करता हूँ और वह इसलिये कि अगर पुलिस का इंटरफीयरेंस नहीं होता तो मैं भी चुपचाप बैठ रहता। लेकिन अब इसमें पुलिस को जांच का अधिकार दिया गया है जिससे गांवों में

जबरदस्त झगड़े होंगे। गांवों में शादी का क्या मतलब है? इस बारे में कुछ माननीय सदस्य मणिबेन पटेल ने बताया। शादी की तीन स्टेज होती हैं गांवों में। सबसे पहले सगाई होती है कि फलां लड़की और लड़का तय हो गया। उसके बाद शादी होती है और फेरे होते हैं और लड़की छोटी उम्र की होने की वजह से समुराल नहीं जाती है और इस तरह से लड़की और लड़का भलग रहते हैं। जब वह मैरिजबिल एज के होते हैं तब उनका गौना होता है और फिर लड़का और लड़की को मिलाने के लिये इजाजत होती है और उसको समुराम भेजा जाता है। 80 फीसदी गांवों में रहने वाली आबादी पर आप इस कानून को लागू करने जा रहे हैं ताकि बच्चे कम पैदा हों और इस प्रकार पोपुलेशन पर रोक होगी। मेरे ब्याल से जो काम करने के हैं वह तो आप कर नहीं रहे हैं और आबादी कम करने के लिये शादी की उम्र बढ़ाने की सोच रहे हैं। तो 21 वर्ष के बाद भी फर्टिलिटी की अवस्था तो रहती ही है, वह तो कम नहीं होगी। इसलिये मेरे ब्याल से इस थ्योरी से आपको सफलता नहीं मिलेगी। इससे गांवों में बड़ी परेशानी होगी। आप मानते हैं कि गांवों में गरीबी है और यह भी मानते हैं कि खेती भी है और सब को बढ़ावा देने के लिये आप प्रगति करना चाहते हैं। जिसमें आपको टाइम लगेगा।

एक बाप के 3, 4 बेटियां हैं। एक करीब 15, 14 बरस की होती है तो उसकी शादी की जाती है और साल दो साल बाद गौना, मुकलावा करके उसके बाद घर जाती है। उसके बाद तीन 4 लड़कियां और होती हैं कोई 7 बरस की, 8 बरस की और 12 बरस की तो इकनामी की दृष्टि से उनकी शादी एक साथ कर दी जाती है लेकिन 6, 7 बरस के बाद उनका गौना बगैरा होता है। इस कानून के बाद आपकी पुलिस गांव गांव में जायेगी और घर-घर में झगड़े होंगे। शहरों

## [श्री नाथूराम मिर्धा]

मैं जो सभ्य कहलाते हैं उनके शादी सगाई के 10, 15 दिन बाद ही हो जाती है और लड़की साथ ही पति के घर चली जाती है। हमारे गांव में इस प्रकार की शादी नहीं होती यह सभी काश्तकारों, शड्यूलकास्ट और शड्यूलड ट्राइब्ज के यहां होता है। गांव में रहने वाले 70, 80 फीसदी लोग इस नियम को मानते हैं, इस लिये आप का शारदा कानून फेल हुआ यह कानून भी आप जब पुलिस के जरिए लागू करायेंगे तो आपकी सरकार और बदनाम होगी गांव के गरीब लोगों को परेशानी होगी और वह सब कानून को तोड़ेंगे। आप चाहते हैं इस कानून को न तोड़ा जाये, लेकिन लोग कानून को तोड़ेंगे और जब पुलिस वहां जायेगी तो वहां पर रिश्तत बढ़ेगी और करप्शन भी बढ़ेगी। और इस तरह से कानून ज्यादा टूटेगा। इसलिये आप या तो मैरिज की डैफिनिशन तय कर दें, बड़ी उम्र में लड़के-लड़की की शादी का मतलब गौना लिखा हो। अगर कुछ न कुछ करैक्ट करके ठीक नहीं करेंगे तो यह कानून बहुत ज्यादा गांव में नुकसान करेगा, प्रण्टाचार बढ़ेगा और लोगों को बहुत परेशानी होगी। गरीब लोगों में एक-एक शादी को कोई अफोर्ड नहीं करेगा कि जब बड़ी लड़की होगी तो शादी करेंगे।

आज हम जोश और उत्साह में गांव की स्थिति को न समझते हुए प्रगतिशील बातें भाषणों में कह देते हैं, सदन में अच्छा मानते हैं लेकिन गांव की आर्थिक स्थिति आज भी बहुत कमजोर है। अगर आप जल्दी शादी को रोकना चाहते हैं तो शादी का मतलब गौना है यह कनोवर कर दें तो कोई दिक्कत नहीं होगी।

मैं आपको इस बात को समझाने के लिये निवेदन किया है कि आप इसको सोचिये और फिर सही तरीके से इस कानून को बनायें।

अगर सही कानून बनायेंगे तो चलेगा नहीं तो नहीं चलेगा। मैं इतना ही निवेदन करना चाहता हूँ

डा० रामजी सिंह (भागलपुर) : अध्यक्ष महोदया, यह बहुत शुभ सूचना न्याय और विधि मंत्री ने दी कि यह शुभ विधेयक राष्ट्र-व्यापी होगा और किसी धर्म विशेष या जाति विशेष के लिये सीमित नहीं होगा। सचमुच में भ्रम इसलिये था कि इस बिल के उद्देश्यों तथा कारणों के कथन में हिन्दू मैरिज एक्ट 1955 और ईसाई विवाह अधिनियम 1872 का उल्लेख था। आखिर उनके इस स्पष्टीकरण से सचमुच में एक अच्छी बात आई है।

बाल विवाह का अवरोध तब तक नहीं हो सकता है जब तक एक सामाजिक और सांस्कृतिक सुख और स्वस्थ परिवेश का निर्माण नहीं हो। अभी हमारे पूर्ववर्ती बक्ता ने ठीक ही बताया कि जिस प्रकार शारदा कानून असफल हुआ एक उचित वातावरण के अभाव में उसी प्रकार से यह कानून भी असफल होगा, कानून से गांव में केवल कठिनाइयां बढ़ेंगी, लेकिन इसका अर्थ यह नहीं है कि हम इस कदम से पीछे जायें। वस्तुतः बाल-विवाह का अवरोध करने के लिए एक और आवश्यक अधिनियम बनाने की आवश्यकता है, जो राष्ट्र-व्यापी हो, जिसमें एक-पत्नीव्रत, मानोगमी अथवा एक-विवाह का प्रावधान हो। सभी जातियों और सभी धर्मों के लिए जब तक एक-विवाह का सिद्धांत लागू नहीं होगा, तब तक बाल-विवाह के अवरोध का कार्यक्रम अपूर्ण ही रहेगा।

मैं यह कहने में कुछ लज्जा का अनुभव करता हूँ कि मेरा विवाह 11 वर्ष की अवस्था में हो गया था। आज उत्तर भारत में जो स्थिति और वातावरण है, उस में आज भी

दहेज और तिलक का बाजार गर्म है। जो बच्चियाँ एम० ए० और उस से भागे पढ़ जाती हैं, उन के लिए उपयुक्त वर की तलाश के लिए एक-एक पिता को एक-एक लाख रुपये देने पड़ते हैं। इसी कारण पद्मा जलती है और कांता कर्म में जिन्दा गाड़ी जाती है। जब तक दहेज निवारण के लिए कठोर प्रावधान नहीं होगा, तब तक बाल-विवाह अवरोध का कानून सफल नहीं हो सकता है। हमारी बहन, श्रीमती पार्वती कृष्णन्, ने ठीक ही कहा है कि अगर हम कोई एक कार्यक्रम ले कर चलते हैं, तो उस से समाज की सभी समस्याओं का समाधान नहीं हो सकता है। समाज किसी एक बंद खेमे में नहीं रहता है। जब तक सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक क्रान्ति—जिसे सम्पूर्ण क्रान्ति कहा जाता है, वह नहीं होगी, तब तक कोई एक अधिनियम बना देने से काम नहीं चल सकता है।

ग्राज महिलाओं की शिक्षा केवल 8 प्रतिशत है। जब तक उन में शिक्षा का प्रसार नहीं होगा, उन में जागरण नहीं आयेगा, तब तक बाल-विवाह होते रहेंगे। यह कानून बना देना तो ठीक है, लेकिन इस के साथ-साथ महिलाओं की शिक्षा के लिए विशेष प्रावधान करने की आवश्यकता होगी। उसी तरह तिलक और दहेज को बन्द करने के लिए भी और भी कठोर कानून बनाने की जरूरत होगी। लेकिन समाज-परिवर्तन के लिए केवल कानून ही काफी नहीं होता है। केवल कानून से ही समाज नहीं बदल सकता है। इस के लिए सामाजिक और सांस्कृतिक पुनर्जागरण की आवश्यकता है, और यह काम केवल सरकार के द्वारा नहीं हो सकता है। हम चाहेंगे कि इस कानून के साथ-साथ हम समाज और शिक्षा के क्षेत्र में भी कुछ गहराई से विचार करें।

एक और प्रश्न मेरे मस्तिष्क में आता है कि क्या पितृ कुल समाज, पेट्रिआटिकल सोसायटी, में हम अन्याय और उत्पीड़न को कम नहीं कर सकते। मार्क्स ने कहा है कि

मनुष्य जाति में शोषण का प्रथम चरण पुरुषों के द्वारा स्त्रियों के शोषण से प्रारम्भ होता है। यही कारण है कि स्त्रियाँ आज केवल विलास की एक सामग्री और उपकरण के रूप में देखी जाती हैं। इसलिए जब तक पितृ-कुल समाज में परिवर्तन नहीं होगा, तब तक इस व्यवस्था में आमूल परिवर्तन नहीं हो सकता है।

इस बाल-विवाह अवरोध अधिनियम का तो हम हृदय से स्वागत करते हैं, मगर विधि और न्याय मंत्री के सामने मैंने ये रचनात्मक सुझाव इसलिए रखे हैं कि जनता पार्टी ने न केवल शासन चलाने का वादा किया है, बल्कि सामाजिक और सांस्कृतिक परिवर्तन लाने का भी। अतः मैंने जो सुझाव इस सम्बन्ध में रखे हैं, मुझे आशा है कि सरकार उन पर विचार करेगी।

PROF. P. G. MAVALANKAR  
(Gandhinagar): Madam Chairman, this is a brief and a good Bill and also it is an important Bill because it concerns one of the vital problems and subjects facing our policy—viz. how can social reform and legislation go progressively hand in hand so that one has a healthy effect on the other? Because as the Law Minister himself said in the initial stages—no social legislation can take strides in the right direction or in the desired direction if it is not backed up by increasing social consciousness and public opinion. You cannot at the same time have greater social awakening and more informed public opinion unless you have in a country like ours the social legislation which may help formulation of the public opinion on the lines we desire.

I feel that social legislation such as this is important. Although my friend Shri Mirdha has gone, I do share his apprehension about the difficulty of implementing such a legislation in our vast country particularly in the rural regions. But I would request him to reconsider his approach and ask this question to himself—as we have been

[Prof. P. G. Mavalankar]

asking this question to ourselves-- whether it is not right for us to help in educating the public partly by the kind of legislation which the Law Minister has brought today? I entirely agree that legislation in itself does not create any panacea, nor does it create automatically any welfare but surely if you want some kind of welfare to take place in concrete terms, a certain amount of pioneering effort in terms of taking a lead in the matter has to be done by law makers and we have to be grateful to men like Mr. Sardar who for a long time did what we have been considering obvious today and it is true that we have covered a long way since that time. But let us remember with gratitude Mr. Sardar and many of the social reformers like him. I would say, not only Mr. Sardar but men before him beginning from Raja Ram Mohan Roy. May I also add that even some of the British officers, including a Governor General and Viceroys of those days who while governing politically also had an eye on the important aspect of social reform without which your polity could not take proper and democratic roots. From all these angles I welcome this Bill. I only hope and I share the Law Minister's feeling that this kind of social legislation will be continuously and effectively backed by enlightened public opinion and also by responsible social service agencies.

The Minister has made a reference in his Statement of Objects and Reasons, as well as in his initial remarks, problem of population explosion in this country. I am not one of those who believe that we must not take this point of view in consideration while talking about the raising of the marriage age. I am glad that the Janata Government has been conscious of this great need of continuing effectively the policy of population control by which I mean Family Planning, proper parenthoods, without the coercion part of it which was so manifest in an ugly way during the days of emergency. Nobody wants that. At the same time

we do not want to throw everything over-board. Let there be not a number of people born in this country to be absorbed, but let us say that this country can absorb many more people of quality rather than just the quantitative addition to it. That aspect must be kept in mind and, therefore, I welcome this Bill from that angle.

SHRI O. V. ALAGESAN (Arkonam):  
How do you differentiate?

PROF. P. G. MAVALANKAR: This is an evidence of the Janata Government's concern and anxiety about the question of population explosion which really we must tackle quickly and effectively. In fact, it is one of the three or four very important challenges faced by our 20th century, in the remaining part of the century; in the next 20 years or so. Now, my friend, Mr. Alagesan says; how do you make a difference between quantity of population and quality of population? Well, the answer is very simple though the implementation is very difficult. And the answer is, you emphasise progressively the processes of education and persuasion and thereby create a responsible and responsive citizenry in this country and if that happens, then, you automatically get even in the increased population a more qualitative population. That will be my answer to my friend's query.

Madam Chairman, therefore, I would say that we must take all sorts of educative, persuasive, legislative measures; and we must also look into the question of punitive steps as well as rewarding steps.

This is not the time nor is this the occasion to go into the details of this matter. But I would like the Law Minister to consider this, not only as the Law Minister, but as part of the whole Government. Let him consider this aspect of the matter also whether in some ways you may not achieve some very desirable objectives by punishing and in some other ways by rewarding or by giving incentives.

That also can be thought of; without necessarily punishing you can do things by providing some incentives and rewards for doing the right things. Say for example, if you have lesser children, well, you have lesser tax; more children, more tax and so on. If that happens, that again can be a great disincentive for having more population.

And, whether we like to believe it or not it is becoming more and more true now that even the so-called ignorant population of this country is—when it comes to economic needs and dire economic situation—coming to realise the importance of small family. But it needs certain backing of social legislation and public opinion.

Now, the problem is, Madam Chairman, how to enforce this kind of a Bill when it becomes an Act—in fact, already it is an Act, with the present lowering of age. Now, there is nothing sacrosanct about age. Some of my friends have argued, make it 25 or make it 30. I don't think that is the answer. And, I am against increasing this age indiscriminately because that would only mean allowing people to have all kinds of immoral and illegitimate and illicit relationships etc. Sex and family life are very sacred things in this country and we cannot allow the natural instincts and the natural factors to be completely ignored, and in our enthusiasm to have less population we cannot go on saying, make it 25, make it 30 and so on. That is not the answer. But why do we agree to this particular rise? It is because it means that both the parties, the man and the woman, the husband and the wife, come of a certain understanding age where a certain maturity helps them to understand the responsibilities and the implications of the wedlock. If that is so, you can do it. I hope the Law Minister will not be drawn into this tempting argument that the higher the age the greater the control of population! That would be again a dangerous thing. That he

should not do. But, coming back to this problem of enforcement, Madam Chairman, I agree that the question is very difficult and very ticklish, particularly so in rural areas. In the rural areas, as Mr. Mirdha himself has pointed out, it is very difficult. In the cities things don't remain concealed for a long time, but in the villages they remain concealed partly because of distances and partly because of mutual understanding: 'You keep quiet, I keep quiet and let us proceed'—that kind of an attitude goes on. Therefore, it is possible there. It is not possible, however, in a city or an urban locality. Therefore I would say at this stage that when it comes to effective implementation of this kind of a legislation not only Government and police and magistrates but also even social service agencies and social workers particularly in the rural areas should see to it that this kind of a thing must be put a stop to, that is to say, the violation of this Act. I would not have the time to go into the question of social and orthodox views and beliefs, and taboos, prejudices and ignorance, wrong informations, illiteracy all of which are factors responsible for this kind of an unfortunate situation that we have in this country.

But, in conclusion, I would say that it is unfortunate also that poverty and ignorance are so combined in our country that the combination of poverty and ignorance is exploited by the establishment whether it is economic establishment, political establishment or even, I would say, the educational establishment—I mean those who have the privileges, the ones who are the haves rather than the have-nots, and I would, therefore, say that we must produce an atmosphere to see that, by and large, the exploitation and explosion of all kinds will stop.

I agree with Kumari Maniben Patel, to which also the Law Minister has given his answer, that this particular legislation applies to all, and yet I agree with her major

[Prof. P. G. Mavalankar]

point—we must progressively enact laws which must be applicable uniformly to all citizens of this country because, we believe in secular democracy. I would, therefore, say that a uniform civil code is a must.

Madam, one final word and I have done and that is that the whole subject needs to be viewed not merely from the angle of population control although that is important but it must also be viewed from the point of view of creating a responsible parenthood and creating a responsible citizenry. And last but not the least important point is the growing climate in which the status of women is not only to be protected but also to be respected. It is no use saying that in India we have been protecting and respecting women for all times. That of course we are having in our scriptures etc. It is true and, in a certain way, the Indian women according to Indian traditions have been respected. My point is this that this Bill is an attack in a way on the parental domination, particularly, the father's domination, the male domination, of putting the girl into the marriage market as it were without her consent, without her knowledge, without her understanding etc. I think from that angle also I would say that this subject needs to be looked at from a larger angle. I hope the Law Minister, just as he is coming with a comprehensive Constitutional Amendment will come—let him take a year or two—with a comprehensive legislation for a uniform civil code so that we can reform the Indian citizenry and so that the women, particularly those who are downtrodden and exploited, can come in line and they are respected not just as women with sympathy or pity etc. but they are respected as persons and as human beings. If this is done, I am quite sure, this will be a significant steps in the right direction.

**SHRI R. VENKATARAMAN** (Madras South): Madam Chairman, at the

outset, I would like to extend my fullest support to this measure and the amendment which I have proposed and accepted by the hon. Minister.

I shall briefly mention one or two points in this connection. Firstly, there were some doubt raised by Members here whether this Bill will be applicable to all communities. The Child Marriage Restraint Act applied to everybody and the Bill before us is an amendment to the Child Marriage (Restraint) Act. In fact Clause (1) of the Child Marriage Restraint Act runs as follows:

'It extends to the whole of India except Jammu and Kashmir and it applies also to all citizens of India' without and beyond India.'

Therefore, there should be no doubt, no question, whether this Bill applies only to Hindus, Muslims, Parsis or Zoroastrians but to everybody in this country so long as they are the citizens of India. Therefore, I welcome this measure. This is really the first step in the Civil Code that we have been contemplating. It is a welcome measure from that point also.

The second point which I would like to mention is this. A number of people said that the Sarda Act has been a dead letter, that the Child Marriage Restraint Act has not been observed fully and that there have been more breaches than the observance of this. I am afraid I cannot subscribe to this view.

It is true that there is not hundred per cent observance of the Child Marriage Restraint Act. Also it is true that the law is not observed completely. Nevertheless, progressively, if you look at the whole period of thirty to forty years, you will find less and less child marriages happening year by year.

In fact, education, social conscience, political awakening, social awakening, all these are contributing step by step

towards raising the age of marriage. There is also another factor which has contributed to the raising of the age of marriage for girls in most of these parts of this country where we find these dowries—financial payments and so on—have got to be made. This pressure on those who are economically unable to find money for these marriages, is again pushing the age of marriage further and further up. This cannot also be denied. In fact when some people said that this Act not served at all, they have seen various instances or cases in which there has been a violation. I am here reminded of a similar argument in respect of prohibition. Madam Chairman, Tamilnadu was one of the earlier States which had introduced prohibition about which you know, and whenever there was a breach it would be publicised. The observance of the law never get publicised. It is only the breach of law that gets publicised. Then everybody starts saying that when there is so much violation of the law it should be scrapped. That way I may say the Indian Penal Code should be scrapped because there are so many violations of the Indian Penal Code all over the country. If a dog bites a man it is no news but if a man bites a dog it is certainly a news. I welcome this publicity because it rouses the social consciousness of the people to criticise the abuses. I do not think this law has been a dead letter as has been said by many people. On the contrary it has been progressively observed more and more and legislation will help because it sets the goal before the country. People will progressively look to that standard and go on observing that law. Merely because there are a few breaches we should not condemn the law. On the other hand, we should exert all our endeavour to see to it that the law is observed.

There is no other reason why I moved this amendment about raising the marriage age in respect of women to eighteen. Apart from marriage being a sacrament, it is also a contract

and under the Contract Law a person gets the right to contract only when he is eighteen. Therefore, the marriage of a girl below eighteen is done on her behalf by somebody else and not done by her. Therefore, it is appropriate that the age of marriage in respect of women should be raised to eighteen and it would be in the fitness of things that young man of twenty-one marries. So, I strongly support this measure. Though it will not solve the problem of population explosion yet it will help to reduce—to some extent—the birth rate if the higher age is fixed and also there will be at least an understanding amongst the couple of a planned parenthood and a responsible parenthood at that age. At a lesser age there may not be that responsible parenthood. I fully support the Bill.

MR. CHAIRMAN: The time allotted for this Bill is over. I have got nearly ten more names. It is just not possible to accommodate any more members. The Minister.

SHRI O. V. ALAGESAN: My party is entitled to some time. The time may be extended.

श्री हुकम चन्द कछवाय (उज्जैन) :  
हमें श्री मौका मिलना चाहिये ।

सभापति महोदय : आपका नाम मेरे पास है । आपका पांचवां नाम है । आपको मौका नहीं मिल सकता है ।

श्री हुकम चन्द कछवाय : सारा हाउस चाहता है । इस पर आप समय बढ़ाएं ।

MR. CHAIRMAN: What is the wish of the House? Should the time be extended?

SOME HON. MEMBERS: Yes.

MR. CHAIRMAN: Has the Minister any objection?

THE MINISTER OF LAW, JUSTICE AND COMPANY AFFAIRS (SHRI SHANTI BHUSHAN): I have no objection.

श्री दुर्गा चन्द्र (कांगड़ा) : सभापति महोदय, मैं मंत्री जी को इस बिल के लाने के लिये बधाई देता हूँ क्योंकि यह बहुत अच्छा कानून है। लेकिन प्रश्न यह है कि 1929 में शारदा एक्ट बना लेकिन उसका इम्प्लीमेंटेशन ठीक से नहीं हुआ जैसा कि सभी साक्षियों ने कहा कि आज भी रुरल एरियाज में लड़कियों की छोटी उम्र में शादी हो जाती है। तो इसका मतलब यह था कि कानून का इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो रहा था। 1949 में एक और तरयीम हुई जिसके मुताबिक लड़की की उम्र 15 साल कर दी गई और अब लड़की की उम्र 18 साल की जा रही है और लड़के की उम्र 21 साल। बहुत अच्छा है, ऐसा होना चाहिये क्योंकि बदले हुए हालात के मुताबिक यह मुनासिब है। आज लोगों में शिक्षा पाने की होड़ चल रही है इसलिये 18 साल की उम्र ठीक है। अगर किसी को प्रेग्नएशन या पोस्ट प्रेग्नएशन करना है तो लड़की की उम्र वैसे ही 23 साल तक चली जाती है। हम लोग जो भी बात सोचते हैं उनको लेकर देहात में चले जाते हैं और सोचते हैं कि वहाँ के लोग हमेशा ही बैकवर्ड रहेंगे। ऐसा नहीं है। वहाँ भी लड़कियाँ तालीम ले रही हैं और उनमें चेतना आ रही है। यह ठीक है कि देहात में ऐसे हालात हैं। लेकिन वह सदा नहीं रहेंगे। वह बदलेंगे। इसलिये जो उम्र रखी है वह ठीक है। सवाल इम्प्लीमेंटेशन का है। सरकार चाहती है कि जब तक मेजिस्ट्रेट बारण्ट न दे तब तक पुलिस नहीं पकड़ेगी। लेकिन प्रश्न यह है कि पुलिस वाले दखल तो देंगे जिसका बर्ताव अच्छा नहीं होता है। इसलिये सरकार को चाहिये कि जो कानून पास करे उसके लिये सही ऐटमस-फियर पैदा करे, लोगों को शिक्षित करे। इस बिल का मकसद बहुत अच्छा है, आबादी कम बढ़ेगी और देर में शम्दी होने की वजह

से मां और बच्चे की तन्दरुस्ती भी अच्छी होगी और उनमें समाज के प्रति अपनी जिम्मेदारी समझने की शक्ति होगी। इसलिये मैं सरकार से कहूँगा कि हमारा जो शिक्षा का करीकुलम है उसमें यह चीज मानी चाहिये और बच्चों को सिखाया चाहिये कि लेट मैरिज से क्या-क्या लाभ होते हैं, सरकार के भी कई इंस्टीट्यूशन्स हैं जिनके जरिये लोगों को शिक्षित किया जा सकता है।

एक सुभाव मंत्री जी को और देना चाहता हूँ, जैसा माननीया पारवती कृष्णन ने कहा था कि शादी का रजिस्ट्रेशन भी होना चाहिये। अगर रजिस्ट्रेशन न भी हो तो कम से कम यह तो होना चाहिये कि गांव में पंचायत में जाकर लड़के और लड़की की उम्र दर्ज करा दें ताकि समाज को पता चले कि कानून बना है और लड़की की 18 साल और लड़के की 21 साल की उम्र से पहले शादी नहीं हो सकती है। पंचायत में हमारे गांवों के समझदार लोग होते हैं, सरकार को केवल उनको दिशा देने की जरूरत है। सरकार को दिशा देनी चाहिये और जैसे पंचायत में जन्म और मृत्यु की एन्ट्री होती है उसी तरह से शादी भी दर्ज हो सकती है। अगर इस प्रकार शादी दर्ज होगी तो पुलिस की दखलदारी का मौका ही नहीं रहेगा। तो उससे लोगों को पता लग जायेगा कि यह भी शिक्षा का एक तरीका है। जब तक इन तरीकों को हमारी सरकार नहीं अपनायेगी, जिस तरह से 1938 में शारदा एक्ट पास हुआ था, उसका थोड़ा असर हुआ था, जितना होना चाहिये था, उतना नहीं हुआ। इसका भी ज्यादा असर नहीं हो पायेगा।

मैं मंत्री महोदय और सरकार से यही कहूँगा कि यह बहुत अच्छा कानून लाये हैं और मैं समझता हूँ कि इसका इम्प्लीमेंटेशन भी ठीक होगा और इसके न्याय भी जैसे हम चाहते हैं वैसे ही निकलेगी। इसमें ही सरकार की बहुत बड़ी सफलता होगी।



SHRI K. MAYATHEVAR (Dindigul): I rise to support this Bill, in a limited sense. Many hon. Members correctly said that the object of the Bill was birth control. One of the great leaders, Raja Ram Mohan Roy also stressed some of the points in the Bill. Some persons say that Sarada Act failed for various reasons, such as economic, social circumstances, failure to educate the people, various religions and communities and various languages in different parts of the country. I ask the hon. Law Minister why he should be miserly in fixing the age; why cannot he arise the age for males from 21 to 25 and for females from 18 to 21? I suggest that he should raise the age-limit. At 21 people are allowed to exercise their franchise. The Malthusian theory is that population increase in geometrical progression while food production increases in arithmetical progression; that is to say in the long run people will not get jobs, food or shelter. On the other hand Cannon's principle is that every person born in this world is not endowed with a belly only; he has two hands and two legs so that he can walk, work and earn and live. What is the theory of the Janata Government and the Law Minister? He is one of the leading lawyers in the Supreme Court. I know he is a sound man. What is his theory? It is not reflected in this Bill. I suggest that the age-limit should be raised for males to 25 or even 30. There is no use in having a law only on birth control. We must educate people. More and more money should be allocated to the education department, to social welfare measures connected with this aspect.

I request the hon. Minister to grant more and more money to Mr. Raj Narain, who is holding the Health portfolio, with which we are dealing now and about which we are talking so much and commenting so much. I would like to say—of course, subject to correction—that after your Government came into power at the Centre, the birth rate is increasing or it

nas increased subject to correction, once again. I say that. If my comment is correct, what are the reasons for the increase in birth rate after your Government came into power at the Centre? You find out the reasons and plug those loopholes. If you are lethargic about controlling the fastly increasing birth rate, it will be dangerous to the country and to the people of India. You must take a very serious note of this and cut down and stop the further increase of human population.

Some other hon. Members suggested a very good point. I suggest to the hon. Minister to introduce certain compulsory lessons starting from high schools about late marriage and its benefits and this should be taught in all high schools and colleges. You can have one or two lessons and the boys and girls will be very happy to postpone their marriage. Psychologically it will have very good result and will have its consequences on the part of the educated society in the long run. This was suggested not only by us, but by our forefathers, great economists, theoreticians and revolutionary leaders in the past.

So far as our country is concerned, our Indian couple, when asked as to whether they prefer a car or a child, very unfortunately would prefer a child because even now, rightly or wrongly, wisely or not, they think that children are very good wealth. But in Western countries, people prefer car to a child. Now our couple may prefer car also; but they do not avoid child. Of course, they must prefer child, but not so many children.

I suggest finally to the hon. Law Minister to bring forward legislation to make birth-control compulsory. If any Government employee is having more than three children, such persons should not be given any increment. It is true that we cannot change the entire world by law alone; on the other hand it is also true that we cannot change the people without law. If there is no police, nobody will

[Shri K. Mayathevar]

fear to commit theft. Because the Court is there, everybody abides by the law. The Central and State Governments are there to ensure that people conduct themselves within the provisions of law, within the four walls or corners of law. Therefore, law is also essential to rectify, correct and reform the people. Of course law alone is not sufficient, the mental attitude of the people should also be changed. Therefore, I request the hon. Law Minister to introduce compulsory lessons in all high schools and colleges regarding birth control and the benefits of birth control. It will give very good result.

Before I conclude my speech, I would like to say one sentence about compulsory registration of marriages. As a Lawyer who has been practising till the recent past, the Law Minister knows law very well I say this. Hon. Members correctly suggested that marriages, irrespective of religion, whether they belong to Mohammedan community or Christianity or Hinduism irrespective of caste, community and religion, all types of marriages should be compulsorily registered. Then only the poor ladies in the villages will get some relief. At present, when they are deserted by some male members who are anti-social elements, these ladies are unable to get maintenance because it is difficult to establish the marriage according to the provisions of law. So, I suggest that all marriages conducted in any form, should in addition be compulsorily registered. If these suggestions are implemented, there may be some reform in Indian society.

With these words, I support the Bill.

श्री रामजी लाल सुमन (फिरोज़ाबाद):  
सभापति महोदया, माननीय मंत्री जी ने आज जो काम किया है अगर उसे व्यवहार में लाया गया तो निश्चित रूप से वह एक जोरदार काम होगा, ऐसा मैं

मानता हूँ। जो विशेष बात है वह यही है कि हमारी कपनी और करनी में एकरूपता स्थापित हो। लड़के की उमर 21 और लड़की की 18, यह जो कानून आज बना है अगर यह व्यवहार में लाया गया तो निश्चित रूप से इस के सुखद परिणाम निकलेंगे। लेकिन मुझे एक बात कहनी है। कानून बनते रहते हैं। लेकिन व्यवहार में क्या होता है। हिन्दुस्तान में एक कानून है कि छुआछूत सामाजिक अपराध है लेकिन उस के बाद भी विगत सप्ताह के चलते और संभवतः इस सप्ताह के चलते भी कितने लोग छुआछूत में बन्द किए गए यह एक विचारणीय सवाल है। तो कानून बनाने के बाद उस को अमली जामा पहनाने का काम किस स्तर पर किया जाता है यह सब से महत्वपूर्ण बात है।

हिन्दुस्तान का एक अजीब इतिहास है। यहां सब से बड़ी आवश्यकता इस बात की है कि हम अपनी पुरानी मानसिकता को बदलें। माननीय मंत्री जी जानते होंगे कि हिन्दुस्तान के पिछड़े इलाकों में अभी भी यह परम्परा विद्यमान है कि जिन लोगों के बच्चे पैदा होते हैं और पैदा होते ही मर जाते हैं। बच्चा पैदा होने के बाद पालने में ही तुरन्त शादी कर दी जाती है। यह भी परम्परा विद्यमान है और इसी पृष्ठभूमि में कुछ लोग ऐसा मानते हैं कि लड़की की शादी रक्षस्वला होने के पूर्व हो जाय तो इस से बड़ा पवित्र कार्य कोई और नहीं होता। तो आज जो मान्यताएं हमारे देश में स्थापित हैं और पुराने संस्कार विद्यमान हैं उन को चाहे वातावरण बनाने के माध्यम से या ऐसी तालीम देने के माध्यम से जब तक बदला नहीं जाता और सही वातावरण तैयार नहीं होता तब तक इस से कोई लाभ नहीं होगा। मैं तो विद्यार्थी ग्रान्दोलन में रहा हूँ और जानता हूँ। उन की यह मांग रखी है कि बोटिंग की आयु 18 वर्ष होनी चाहिए।

अन्य प्रगतिशील देशों में वोट देने की आयु 21 वर्ष से घटा कर 18 वर्ष कर दी गई है। लेकिन अगर आप देहाती अंचल का अध्ययन करें तो आप को पता चलेगा कि वहां पर एक ही सूत्री कार्यक्रम चलता है कि जिस लड़के की शादी हो गई चाहे वह 16 वर्ष का हो या 15 वर्ष का हो उस का वोट बनवा दो। पत्नी का भी बन गया और लड़के का भी बन गया। उमर से उस का कोई ताल्लुक नहीं है। हम जब देहात में जाते हैं तो देखते हैं कि पन्द्रह-पन्द्रह साल और सोलह-सोलह साल के लड़कों के वोट बने हुए हैं और तीस-तीस साल के नौजवानों के वोट कहीं दिखाई नहीं पड़ते। तो हमारे पास आज क्या पैमाना है ? हम कैसे आंके कि अमुक व्यक्ति की आयु क्या है और किस तरीके से उस को वोट देने का हक मिले ? हिन्दुस्तान में 90 प्रतिशत से ज्यादा लोग अशिक्षित हैं। जो बच्चे पैदा करते हैं उन को भी मालूम नहीं होता कि हमारा बच्चा कब पैदा हुआ है। तो जब तक आप बड़े पैमाने पर ये आंकड़े नहीं इकट्ठा करेंगे तब तक यह काम हो नहीं सकता। चाहे पंचायतों के माध्यम से या और जो भी माध्यम आप के पास हो लेकिन बहुत बड़े पैमाने पर यह प्रयास आप को करना चाहिए कि जिस से यह मालूम हो सके कि अमुक व्यक्ति की मृत्यु कब हुई और अमुक व्यक्ति कब पैदा हुआ। तभी इस दिशा में जोरदार पहल हो सकती है। मंत्री जी शायद नहीं जानते होंगे, देहात में इस प्रकार की कोई व्यवस्था नहीं है। जैसा मैं कह रहा था कि हिन्दुस्तान में संभवतः जो बड़े लोग हैं वे इस बात को मानते होंगे कि देहज प्रथा समाप्त होनी चाहिए लेकिन मैं पूछना चाहता हूँ, जो हमारे मंत्रिमंडल के सदस्य हैं या दूसरे सदस्य हैं क्या वे उसी शादी में नहीं जाते हैं जिसमें अधिक चकचकील होती है और जहां देहज अधिक मात्रा में लिया जाता है ? हम लोग जानते हैं कि यह एक सामाजिक अपराध है लेकिन आज 99 प्रतिशत

शादियां ऐसी होती हैं जिन का संबंध देहज से होता है। तो सिर्फ उम्र बढ़ा देना ही काफी नहीं है। उससे जुड़े हुए जो सबाल हैं जब तक आप उनका अध्ययन नहीं करते तब तक आप कोई जोरदार प्रयास नहीं कर सकते हैं।

इसके अतिरिक्त मुझे उन लोगों से बहुत शिकायत है जो 18-21 से बढ़ाकर और ज्यादा आयु रखना चाहते हैं। इस देश की जो दो सबसे बड़ी सर्विसेज आई ए एस और पी सी एस हैं उसके लिए एक नौजवान का बी० ए० पास होना जरूरी है। बी० ए० पास करने के बाद वह जिले का प्रशासन सम्हाल सकता है और उससे उम्मीद की जाती है कि एक बड़ा अधिकारी बनने के बाद वह विभाग के लिए जोरदार काम करेगा। आज 18 साल का लड़का बी ए पास कर लेता है और 20 साल की आयु में उसमें पारिवारिक सूझ-बूझ आ जाती है। वह शासन चलाने में सक्षम हो जाता है। आप 21 वर्ष की आयु के करोड़ों नौजवानों की भावनाओं का आप प्रतिनिधित्व नहीं करते। यदि आप उम्र को और ज्यादा बढ़ायेंगे तो सामाजिक अपराधों को बल मिलेगा। आज जो सिनेमा की परिपाटी और तड़क-भड़क की राजनीति है उसमें छात्र और कुछ न जानता हो लेकिन इतना जरूर जानता है।

उधर वालों में कंधी हो रही है,  
खम निकलता है।

इधर रग रग से खिंच करके  
हमारा दम निकलता है ॥

इसलिए आप कोई भी कानून बनायें उससे पहले नौजवानों की भावनाओं को सामने आना चाहिए और 21 वर्ष की आयु को किसी कीमत पर नहीं बढ़ाना चाहिए। यदि आप सामाजिक बदलाव के लिए बहुत जोरदार काम करना चाहते हैं, स्वस्थ परम्-

[श्री रामबी लाल सुजन]

परायें डालना चाहते हैं तो कबनी घीर करनी में एकता स्थापित करने का प्रयास करें तभी आपकी मंशा व्यवहार में आ सकेगी ।

SHRI O. V. ALAGESAN (Arko-nam): Madam Chairman, I thank you for this extended opportunity for discussion of this Bill. I heartily welcome this measure. I am happy to do so because we may have to oppose many things that the Government may place before us later on during this Session.

I shall give certain examples from the epic which may seem to go against what is being done at present. I may tell the House that when Sri Rama and Sri Sita were married, Sri Rama was only 16 and Sri Sita was 12. When sage Vishvamitra was asking Emperor Dasharatha to send his eldest son, Shri Rama, with him. Dasharatha exclaimed:

उन बेटन बरौ म....

"My son is less than 16 years. You want to take him away from me?" So, that was the age at which Sri Rama married. There is a famous Tamil epic called *Silappathikaram* written by a saint called Ilango Adigal. It has been translated into English as *Lay of the Anklet*. There, the hero was Kovalan and heroine was Kannagi. When Kovalan and Kannagi married, Kovalan was only 16 years and Kannagi was 12 years.

SHRI R. VENKATARAMAN (Madras South): That is why he took to a prostitute.

SHRI O. V. ALAGESAN: But he was only 16. Leave the epic times and come to our own times. The Father of the Nation Mahatma Gandhi was only 13 and Kasturba Gandhi was slightly less than 13, when both of them married. But we have travelled a long way since not only those epic days, but even the early eighties of the 19th century when Mahatma Gandhi married and the present times,

late seventies of the 20th century. We have travelled not only since then, but since the days when Shri Harbilas Sharda introduced the first Bill on this matter in this House and he had to fight a long battle because at that time social opinion was very much against him. The Hindu society was steeped in the old ways and in orthodox practices and rites and rituals. So, almost the entire country opposed him.

17.00 hrs.

Now, as I remarked earlier, the grand son of Shri Harbilas Sharda is a sitting Member of this House. I don't find him here now. He should be happy that the principles for which his grand-father fought so bravely, have not only been upheld but are being extended. I know the treatment given to Shri Harbilas Sharda at that time in Tamil Nadu. Many people there thought that he was a woman, because Sharda is a woman's name. They were heaping abuses on Shri Harbilas Sharda, thinking that he was a woman. That was the condition in those days.

Now, as my friend Shri Venkataraman pointed out, not only the compulsion of population is there, but the Indian society as a whole has advanced. The thinking in the Indian society to-day is in tune with the principles of the bill before the House. The social practices and the social needs have changed over these years. But the most important reason that has been cited in the Statement of Objects and Reasons of the Bill, is certainly the reason which should be the prime ground on which we have to enact this measure.

I shall quote an instance. I was born in 1911. India at that time included areas of the present Pakistan and the present Bangladesh. The population of the entire Indian area then was only 25 crores. We attained independence in 1947; and the present Pakistan and the present Bangladesh were excluded. Even with the ex-

clusion of this large area, the population at the time India became independent, i.e., the population of India alone, was 35 crores. What is it now? It is almost 62 crores. It means that on an India of 35 crores, an India of 25 crores—it was the figure at the time of my birth—has been super-imposed. This shows the staggering magnitude of the problem of population control in this country. That is the compulsion which makes the enacting of this measure very necessary.

As far as family planning education goes, on which my friend Shri Mavalankar lays stress, this education—whether through schools or books and other literature—will be necessary even for couples who marry at the age of 21 and 18 respectively, so that they are made to know the consequences of what they will be doing as married couples.

Another and a more extreme point of view was expressed by Shri Mayathevar and others, viz., that the age should be increased to 35 or 25 for boys and 21 for girls. This sort of increasing the age does not quite accord with the Indian conditions. We are so placed in India that when a man reaches his retirement age, all his children should be settled in life. I know of cases where retired people have school-going children. They find it difficult to find the wherewithal to settle them in life. An increase over and above this will not do; and the present Bill is doing just the thing that will go well with our people; and that will be welcomed by our people. With these words, Madam Chairman, I welcome this measure.

श्री हुकम चन्द कश्यप (उज्जैन) :  
विधि मंत्री जी ने जो विधेयक पेश किया है उसका मैं समर्थन करता हूँ और साथ ही साथ धन्यवाद भी उनको देना चाहता हूँ कि वह एक अच्छे अवसर पर इसको लाये हैं ।

यह कानून तो बन ही जाएगा लेकिन कानून बनने मात्र से सारे देश में बहुत बड़ा परिवर्तन हो जाएगा, ऐसी बात नहीं है । लोगों को शिक्षित करना भी बहुत आवश्यक है । बाल विवाह अनेक प्रान्तों में होते हैं । कहां नहीं होते इसको भी आप जानते हैं । पंजाब, हरियाणा, बंगाल, असम, उड़ीसा, कनाटक, गुजरात, तमिलनाडु, केरल और महाराष्ट्र में बहुत कम होते हैं । मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान में अधिक संख्या में होते हैं । इससे साफ जाहिर हो जाता है कि जहां बाल विवाह कम होते हैं वहां की जनता में काफी जागृति पैदा हुई है, वहां की जनता काफी शिक्षित हुई है और वह इससे जो खराबियां पैदा होती है उनको समझने लग गई है । बाल विवाह से क्या दुर्गण पैदा होते हैं, क्या खराबियां पैदा होती हैं इसका प्रचार उन प्रान्तों में अधिक से अधिक कराने की आवश्यकता है जहां यह बीमारी विद्यमान है । इसका बहुत बड़ा असर वहां लोगों के मन पर पड़ेगा । बाल विवाह के विरोध में जो जाघण हुए हैं मैं समझता हूँ कि उन सब के विवाह बचपन में हो गए होंगे । बहुत ही कम लोगों के विवाह अग्रों हुए होंगे । मंत्री महोदय की भी शादी में समझता हूँ कि बीस साल से कम की आयु में हो गई होगी । आज आवश्यकता इस बात की है कि हम शिक्षा के माध्यम से लोगों में ब्रह्मचर्य की जाघना पैदा करें । अगर इस प्रकार की लोगों की शिक्षा दी जाएगी तो लोग काफी समझदार होंगे, लोगों में ज्ञान पैदा होगा ।

समाज में जो कुरीतियां हैं उन पर भी प्रतिबन्ध लगाना होगा । हमारी समाज में बहुत सी छोटी छोटी जातियां हैं जो बाल विवाह करना बहुत अच्छा मान कर चलती हैं और इसको उचित ठहराती हैं । वे लोग समझते हैं उनके सामने ही बच्चे का ब्याह हो जाएगा तो बहुत अच्छा होगा । आज समाज में ऐसे बच्चों की शादियां भी कर दी जाती

[श्री हुकम चन्द कठवाय]

हैं जो कमाते भी नहीं हैं। ऐसे अनेकों उदाहरण आपको मिल जाएंगे। दो दो तीन तीन लड़कों की शादियां कर दी जाती हैं जबकि वे नौकरी पर लगे नहीं होते हैं। और इसका नतीजा यह होता है कि बाप को खुद के बच्चों का तो पेट भरना ही पड़ता है और साथ साथ बहुओं का पेट भी भरना पड़ता है। आप अठारह साल की लड़की की शादी करने का विधेयक लाए हैं। मैं आशा करता हूँ कि अगला विधेयक आप 18 साल के बच्चों को मत देने का अधिकार प्रदान करने वाला लाएंगे। बहुत बड़ी संख्या में देश में ऐसे नौजवान हैं जो 18 साल के हो चुके हैं और जो अपना मत देना चाहते हैं लेकिन आज उससे बंचित हैं। उनको मत देने का अधिकार दिलाने के लिए आप विधेयक लाएंगे, ऐसी मैं आप से आशा करता हूँ।

जिन राज्यों में बाल विवाह की प्रथा अधिक है उन राज्यों को केन्द्र हिदायत दे, संकेत दे कि वे अपने यहां कानून बनाएं और इस चीज पर अंकुश लगाएं। इसके वास्ते यह जरूरी है कि इसके दुर्गुणों का प्रचार अधिक से अधिक हो। साथ ही साथ यह देखना भी बहुत जरूरी है कि ज्यादाती किसी के साथ न हो। जो कस पकड़े जाएं उनकी ज्यादा से ज्यादा पब्लिसिटी हो। लोगों को बुराईयां बताई जाएं लेकिन ज्यादाती किसी के साथ न हो। अगर आपने पुलिस को छूट दे दी तो वह बहुत अत्याचार करेगी, खूब पैसा खानी और पैसा कमाने का उसको यह एक अच्छा रास्ता मिल जाएगा। यह चीज नहीं होनी चाहिये। पिछली सरकार के समय जो कानून बने उनको उस सरकार ने रद्दी की टोकरी में पटका, उनकी अवहेलना की लेकिन सरकारी अफसरों ने खूब धन कमाया। एक नहीं हजारों लाखों ने कमाया। मेरा निवेदन है कि इस बिल को आप पास

तो करें लेकिन साथ ही साथ आप प्रचार भी अच्छा करें और लोगों को कुरीतियों को बताएं। लोग नौकरी पर लगे तभी शादी करें, इस बात का विशेष ध्यान रखा जाना चाहिये।

श्री हुकम बेश नारायण यादव (मधुवनी): लड़के की आयु 21 साल करने के लिए यह विधेयक लाया गया है। इसके पीछे तर्क भी है। जो पुराना वर्णाश्रम धर्म का उस में 25 वर्ष तक ब्रह्मचर्य रखना पड़ता था। शिक्षा प्राप्ति के बाद ही वह विवाह करता था। लेकिन जिस तरह का तर्क यहां दिया जा रहा है विधि मंत्री जी की तरफ से उसको मैं समझ नहीं पाया हूँ। उन्होंने कहा है कि चूंकि जन संख्या बढ़ रही है और उस पर रोक लगाने की आवश्यकता है इस वास्ते उम्र को बढ़ाया जा रहा है। इस तर्क को मैं समझ नहीं पाया हूँ। एक वर्ष लड़की की उम्र बढ़ा देने से कितने बच्चे देश में कम हो जाएंगे? यह बात मेरी समझ में नहीं आ रही है। मंत्री महोदय इशारा कर रहे हैं तीन का। वह कोई बकरी तो नहीं है, इन्धान है, एक साल में तीन बच्चे कैसे पैदा करेंगे। तो एक वर्ष कम कर देने से कितने बच्चे कम हो जाएंगे, यह मेरी समझ में नहीं आता। हां, बुनियादी सवाल है और वह यह कि अगर जनसंख्या कम करना चाहते हैं तो मैं इस राब का हूँ, और यह मैं नहीं कहता बल्कि डा० राम मनोहर लोहिया ने "जाति प्रथा" किताब के पृष्ठ 6 पर लिखा है कि हर शादी शुदा और न और मर्द को तीन बच्चे हो जाने के बाद अनिवार्य रूप से अनुरवरीकरण करा देना चाहिये और हर कुमार और कुमारी गर्भाधान न कर सके इसकी सरकार की ओर से उपलब्ध सुविधा होनी चाहिये। अर्थात् मैं उन्मुक्त यौन का समर्थन करने वाला हूँ। कहते हैं कि ऐसी शिक्षा दे जिस से हम ब्रह्मचारी बनें, लेकिन दूसरी तरफ वस्त्र ऐसे पहनते हैं बैल बोटम, टाइट बोटम आदि जिनसे अंगों का प्रदर्शन हो। एक

तरक़ सम्पूर्ण भोग की सामग्री इकट्ठी करें और दूसरी तरफ़ ब्रह्मचर्य की शिक्षा दें, यह दोनों एक साथ नहीं चल सकते। समाज का वातावरण भी हमें उसी के अनुसार बनाना पड़ेगा। अगर हम कहते हैं कि लड़के के अन्दर वासना की प्रवृत्ति उत्तेजित न हो तो वह वृत्ति कहां से तेज होती है? उसके लिये वह संस्कार लेता है, अपने मां, बाप से, समाज से। स्वयं जो इस कानून को चलाने वाले लोग हैं। क्या वह स्वतः अपने को आत्म-निर्घटित करने को तैयार है, क्या समाज से इस बात को मनवाने के लिये तैयार है?

जहां तक शादी का प्रश्न है माननीय मिर्धा जी ने ठीक कहा था कि हम लोग जिस समाज से आये हैं आप लाख कानून बनायें, लेकिन छोटी उम्र में जो बच्चों की शादियां होती हैं उसको किस तरह गांव में रोक सकेंगे? उसको रोकने का कोई उपाय है? अगर सरकार कानून बनाये तो उसको सख्ती से लागू भी कीजिये कि इससे कम उम्र में शादी होगी तो जेल में बन्द कर दिया जायेगा। लेकिन साथ ही यह भी है कि अगर जेल में बन्द करेंगे तो फिर वही हवा आप के खिलाफ़ बहेगी जो इमरजेंसी में कांग्रेस के खिलाफ़ बही थी। क्योंकि जब तक सामाजिक पुष्टभूमि तैयार नहीं होगी, जन-मानस तैयार नहीं होगा तब तक कुछ नहीं होगा। आप महात्मा गौतम बुद्ध से ले कर महात्मा गांधी तक का इतिहास देख लो सामाजिक क्रान्ति तो होती रही लेकिन समाज ने उनकी बातों को, उनके आदर्शों को नहीं स्वीकारा, केवल उनके नाम का नारा लगता रहा कि गांधीवाद जिन्दाबाद, तिलकवाद जिन्दाबाद, कबीरवाद जिन्दाबाद होता रहा, लेकिन उनके आदर्शों को जीवन में नहीं उतारा। अगर इसको करना चाहते हैं तो उम्र बढ़ा देने से काम नहीं चलेगा जब तक लोगों में समाज के प्रति उनका क्या उत्तरदायित्व है इस भावना को नहीं जगायेंगे।

जहां आप यह कहते हैं कि जिम्मेदारी की भावना आ जाय तो सभापति जी विनोबा जी ने लिखा है कि मैट्रिक में पढ़ रहे बच्चे से पूछा कि पढ़ कर क्या करोगे तो उसने कहा कि इंटर के बाद बताऊंगा, इंटर के बाद पूछा तो कहा बी० ए० के बाद बतलाऊंगा, बी० ए० के बाद पूछा कि क्या करोगे तो कहा कि एम० ए० के बाद बताऊंगा, और एम० ए० के बाद पूछा तो पढ़ने वाले ने कहा कि अभी तक कोई निर्धारण नहीं किया। तो एम० ए० पास करने वाला स्वयं नहीं जानता है कि उसकी क्या दिशा है। आज विश्वविद्यालय की उच्चतम शिक्षा लेने के बाद भी वह लड़का क्या गारन्टी के साथ कह सकता है कि उसकी जीविका का सही निर्धारण हो चुका है। तो किस तरह आप जिम्मेदारी का भाव ले आयेंगे? किस तरह से योग 15 हो इसी में शिक्षा नीति उलझी हुई है, कोई निश्चित शिक्षा नहीं है। अगर आप जिम्मेदारी जोड़ना चाहते हैं तो यह करना चाहिये कि अगर 25 वर्ष से कम उम्र का कोई लड़का शादी करेगा तो उसे सरकारी नौकरी नहीं मिलेगी, अगर कोई लड़की जल्दी शादी करेगी तो उसे सरकारी नौकरी नहीं मिलेगी, तब कुछ असर हो सकता है। 25 वर्ष जरूर रहना चाहिये इसलिये कि पार्लियामेंट और विधान सभा के जो सदस्य बनते हैं, 21 वर्ष में मतदाता बन जाने के बाद भी, यहां चुन कर तभी आ सकते हैं जब उनकी उम्र 25 वर्ष की हो जाये।

यह संविधान में मान लिया गया है कि बहुत जिम्मेदारी का काम 25 बरस से ज्यादा उम्र में सौंपा जाये। 25 बरस उम्र ज्यादा महत्वपूर्ण है।

हमारे श्री रामजीलाल जी ने कहा कि उम्र बढ़ा देने से व्यभिचार भी बढ़ सकते हैं। व्यभिचार और बलात्कार दो शब्द हैं जो कि दोनों बुरे हैं। लेकिन दोनों में अगर किसी एक को पसन्द करना पड़े तो मैं व्यभिचार को

[श्री हुषम देव नारायण यादव]

बसन्द करेगा। आज बलात्कार हो रहे हैं, कौन से उपाय हो रहे हैं इसको रोकने के लिये। उसके बजाय अगर लड़के-लड़कियों में थोड़ा ब्याभिचार फैल भी जाये तो उसके लिये कोई परवाह नहीं करनी चाहिये लेकिन बलात्कार को तो हर कीमत पर रोकना चाहिये।

बलात्कार और ब्याभिचार के प्रेरणास्रोतों को बन्द किया जाये अश्लील पोस्टरों को बन्द किया जाये अश्लील सिनेमाओं को बन्द किया जाये। नग्न चित्रों के प्रदर्शन को रोकना जाये। जब इस हजार बरस तक तपस्वा करने के बाद विश्वामित्र जैसे ऋषि की तपस्वा भेनका की एक पायल की झंकार से भंग हो गई तो हम लोग आज विश्वामित्र से भी अधिक महान तपस्वी नहीं हैं।

बिधि, न्याय और कंपनी कर्षण मंत्री (श्री छाति भूषण) : माननीया सभापति महोदया, मुझे बड़ी प्रसन्नता है कि इस विधेयक को इतना भारी समर्थन सदन के प्रत्येक हिस्से से मिला है। मुझे इस बात की भी बहुत प्रसन्नता है कि जो चर्चा इस विधेयक को लेकर हुई, उसका बिस्तार सिर्फ विधेयक तक ही नहीं रहा, लेकिन काफी लम्बा हो गया, जिसकी शायद आवश्यकता भी थी। जब तक इस देश में एक सामाजिक क्रांति नहीं होगी, इस देश की समस्याओं का हल भी नहीं हो सकता है।

जैसा श्री अलगेसन जी ने राम और सीता का वर्णन किया, जिस प्रकार के राम राज्य का स्वप्न हमारे देश के लोग और महात्मा गांधी भी देखा करते थे, वह स्वप्न सिर्फ कहने से ही पूरा नहीं हो सकेगा, सिर्फ आर्थिक और राजनीतिक क्रांति से नहीं हो सकेगा लेकिन सबसे अधिक महत्व उसमें सामाजिक क्रांति का होगा, ऐसा मैं मानता हूँ।

इस सम्बन्ध में जो बहुत सारे सुझाव दिये गये हैं, उनके लिये मैं आभारी हूँ।

सकमूच में वह शासन को बहुत मदद देने उसकी नीति निर्धारण में।

कुछ चर्चा चली कि विवाह की आयु कुछ और बढ़नी चाहिये, या कुछ ज्यादा बढ़ गई है, इसको कम करना चाहिये। इस सम्बन्ध में मैं पहले तो यह कहना चाहूंगा कि कानून मंत्रालय को इसमें कुछ ज्यादा तजुर्बा इसलिए है कि जैसा आप जानते हैं इसमें दो मंती हैं—एक मैं और एक मेरे सहयोगी श्री नरसिंह जी। तो नरसिंह जी का विवाह 12 वर्ष की आयु में हुआ था और मेरा विवाह 29 वर्ष से ज्यादा उम्र में हुआ था। तो इसमें बहुत ज्यादा उम्र की विवाह वाले भी मौजूद हैं और कम अवस्था में विवाह वाले भी मौजूद हैं। मेरे तो 4 संतान है और इनके 6 संतान हैं। इससे एक बात तो मण्डित हो जाती है कि जल्दी थोड़ी उम्र में विवाह करने का और देर से विवाह करने की अवस्था में सीधा सम्बन्ध कितने बच्चों की उत्पत्ति होगी, इसके माय है।

जब मैंने पहले कुछ निवेदन किया तो उस समय मैंने सिर्फ जनसंख्या की बात को कहा। कुछ माननीय सदस्य और सदस्यगणों ने इस बात पर खेद प्रकट किया कि इस विधेयक की पृष्ठभूमि में सिर्फ जनसंख्या वृद्धि की बात को कहना शायद बहुत काफी नहीं था। अगर मेरी बात से कुछ इस तरह का असर हुआ है कि इस विधेयक का सम्बन्ध सिर्फ जनसंख्या की वृद्धि रोकने से है, तो मुझे इस बात के लिए खेद है। जनसंख्या की वृद्धि के बारे में मैंने इस लिए स्पष्टीकरण किया है कि आज कुछ लोग शायद यह समझते हैं कि जनता पार्टी की सरकार जनसंख्या की वृद्धि को रोकने में विश्वास नहीं करती हैं, क्योंकि आपातकालीन स्थिति, इमर्जेंसी, के दौरान जनसंख्या-वृद्धि को रोकने का कार्य इस देश में जिस प्रकार हुआ, जनता पार्टी ने उसका विरोध किया। जनता पार्टी ने उसका विरोध इसलिए किया कि मनुष्य और



पशु में भेद है और मनुष्य के साथ पशु की तरह का व्यवहार नहीं किया जा सकता है। लोगों को बिना समझाये-बुझाये, बिना कोई कानून बनाये पकड़ कर ले जाया जाये, और जबर्दस्ती उनकी नसबन्दी कर दी जाये, जनता सरकार इसका स्पष्ट विरोध करती है। जो कोई भी काम करना हो वह मनुष्य और पशु के भेद को समझ कर करना होगा। मनुष्य के साथ मनुष्य का सा बर्ताव करना होगा। जो भी काम करना होगा, वह कानून का सहारा लेकर करना होगा, क्योंकि हम ने रूल आफ़ ला एस्टाब्लिश किया है, जो कि लोकतंत्र के लिए बहुत आवश्यक है।

जनसंख्या का सवाल इतना बड़ा सवाल है कि उसके बारे में हर बात सोचनी होगी कि हम लोगों ने उसके लिए क्या-क्या तरीके अपनाने हैं, ताकि जनसंख्या की असीमित वृद्धि को रोका जा सके। सदन का ध्यान इस ओर आकर्षित किया गया है कि जब भारत स्वाधीन हुआ, तो पाकिस्तान और बंगलादेश को छोड़ कर, उसकी जनसंख्या 30 करोड़ थी, लेकिन अब उसकी जनसंख्या में हर वर्ष आस्ट्रेलिया जैसे महाद्वीप की कुल जनसंख्या के बराबर वृद्धि हो रही है, अर्थात् हर वर्ष भारतवर्ष की जनसंख्या में एक आस्ट्रेलिया और जुड़ जाता है। इससे जाहिर होता है कि आर्थिक या सामाजिक समस्याओं का समाधान कितना मुश्किल होता है। जनसंख्या की वृद्धि को रोकने के लिये जितने भी उपाय किये जायें, वे कम हैं, और वे उपाय किये जायेंगे। जैसा कि राष्ट्रपति के अभिभाषण से स्पष्ट है, जनता सरकार इस दिशा में बिल्कुल प्रयत्नशील है।

एक माननीय सदस्य ने कहा है कि जब से जनता पार्टी शासन में आई है, तब से बच्चों की जन्म-दर बहुत ज्यादा बढ़ गई है। लेकिन शायद वह एक वैज्ञानिक सत्य को भूल गये। जो बच्चे जनता पार्टी के शासनकाल में हुए हैं, उनकी शुरुआत तो कांग्रेस के शासन-काल

में हुई होगी। अगर इन दस महीनों में बहुत ज्यादा बच्चे पैदा हुए हैं, तो उसका दोष जनता पार्टी पर कैसे डाला जा सकता है? डा० कर्णसिंह ने उस वक्त कुछ डील दी होगी, जिसके कारण इन बच्चों की शुरुआत हो गई। और अगर शुरुआत हो गई, तो उसमें जनता पार्टी क्या कर सकती है? हां, इसके बाद जितने बच्चे इस देश में पैदा होंगे, जिनकी शुरुआत जनता पार्टी के शासन-काल में होगी उसके लिए अगर दोष देने की आवश्यकता पड़े, तो वह एक अलग बात है।

कुछ माननीय सदस्यों ने यह भी कहा कि विधि मंत्री को शिक्षा, सोशल वेलफेयर और मेडिसन के लिए ज्यादा रुपया देना चाहिए। जैसा कि माननीय सदस्यों ने पहले कहा भी है, मुझे लगता है कि विधि मंत्री और वित्त मंत्री का आपस में कुछ कनफ्यूजन हो जाता है। ऐसा मालूम होता है कि माननीय सदस्यों ने मुझे वित्त मंत्री समझ कर यह बात कही है। अब तो वित्त मंत्री आ गये हैं, माननीय सदस्यों को उनसे निवेदन करना चाहिए कि वह शिक्षा, सोशल वेलफेयर और मेडिसन के लिए अधिक रुपया दें।

माननीय सदस्य, श्री नाथूराम मिर्धा, इस समय सदन में नहीं हैं। मैं समझता हूँ कि शायद वही एक सदस्य थे—श्री रवि के अलावा—जिन्होंने इस विधेयक का विरोध किया। श्री रवि की बात तो मैं समझ नहीं पाया कि उन्होंने इस विधेयक का समर्थन किया या विरोध। शायद उन्होंने इसका समर्थन करते हुए विरोध किया, या विरोध करते हुए समर्थन किया। श्री मिर्धा ने कहा कि इस विधेयक में आफेंसिबल को काग्नी-जेबल बनाने की बात कही गई है। उन्होंने समझा कि शायद इससे ग्रामीण क्षेत्रों में कुछ परेशानी हो जायेगी, क्योंकि उनके अनुसार भारतवर्ष में पहले सगाई होती है, फिर विवाह होता है और फिर गौना होता है।

[श्री ज्ञान्ति भूषण]

उन्होंने कहा कि असली प्रश्न तो गौने के बाद पैदा होता है, लेकिन जिसे विवाह कहते हैं, वह तो पहले ही हो जाता है। लेकिन जहां तक सगाई का ताल्लुक है सगाई को तो विवाह कह ही नहीं सकते हैं। अगर यह तय कर लिया गया कि इस लड़की का विवाह उस लड़के से किया जायेगा, ऐसी कोई बात तय की गई तो वह तो इस विधेयक में नहीं आयेगा। यह तो विवाह करने की बात है। विवाह से कानून के अंदर ऐसा अधिकार मिल जाता है कि दोनों साथ-साथ रहें। अब वे रहें या न रहें, गौना हो, यह तो उनकी स्वेच्छा पर निर्भर करता है। लेकिन मैं समझता हूँ कि अगर कोई सगाई हो जाती है तो उससे इस विधेयक के खिलाफ कोई बात नहीं होती। यह बात बिलकुल साफ है।

बाकी ग्रामीण क्षेत्रों में कोई परेशानी इस विधेयक से न पैदा हो और जैसा कुछ माननीय सदस्यों ने कहा कि शायद पुलिस अंतर्कित करे कुछ लोगों को और कुछ उसमें करप्शन फैले और उससे परेशानी हो, इसके लिए यह नया प्रावधान इस विधेयक में किया गया था कि आफेंस को कार्गिजेशन तो कर दिया जाये लेकिन पुलिस को यह अधिकार न दिया जाय कि किसी को उस के लिए गिरफ्तार कर सके या थाने ले जा सके जब तक कि किसी मजिस्ट्रेट का आदेश उसके लिए न ले जिससे कि ऐसा भी न हो जैसा कि शारदा कानून के लिए हुआ कि शारदा कानून बन तो गया लेकिन उसका पालन करने की किसी ने कोशिश ही नहीं की। क्योंकि जब तक उसके ऊपर कोई दण्ड की बात नहीं होती है और दण्ड का भय नहीं होता है तब तक उसका पालन नहीं होता। यह ठीक है कि सिर्फ कानून से और विधेयक से किसी सामाजिक समस्या का हल नहीं हो सकता। लेकिन जैसा कि कहा गया कानून, सोशल लेजिस्लेशन और सामाजिक चेतना इन

दोनों को साथ-साथ कदम मिला कर चलना जरूरी है और एक का दूसरे पर प्रभाव पड़ता है। अगर कानून होता है तो उससे सामाजिक चेतना आती है और सामाजिक चेतना होती है तो कानून बनाने में वह सहायक होती है। अब कौन सा पहले शुरू किया जाय, कौन सा बाद में शुरू में किया जाय इस विवाद में तो मैं समझता हूँ कि पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। और यही कारण है कि अगर यह भी समझा जाय कि विवाह की आयु 25 होनी चाहिए लड़कों के लिए और 21 होनी चाहिए लड़कियों के लिए तब भी सब कुछ तो एक साथ नहीं हो सकता। अगर कोई बहुत लम्बी छलांग एक साथ लगाने की कोशिश करेगा तो गिर पड़ेगा, सफल नहीं हो सकता। इसलिए एक कदम इस प्रकार का उठाया जाय कि जितना कदम उठाया जाता है उतना उठ जाय। इसीलिए जैसा मैंने निवेदन किया कि अभी तक विवाह की आयु लड़कियों के लिए 15 थी और लड़कों के लिए 18 थी, तो दोनों में तीन-तीन वर्ष की वृद्धि कर के कन्याओं की 15 से 18 वर्ष और लड़कों की 18 से 21 वर्ष करने का प्रावधान किया है जिस से सामाजिक चेतना में भी ऐसा न हो कि एक दम से इतना बढ़ा दिया कि इसके खिलाफ ही इतना जनमत तैयार हो जाय कि यह तो बढ़ी ज्यादाती हो रही है, 15 से बढ़ा कर 25 कर दिया या 35 कर दिया या 40 कर दिया। तो ऐसा कानून चलने वाला नहीं है। जैसा मैंने कहा सामाजिक चेतना और कानून दोनों को साथ-साथ कदम से कदम मिला कर चलना होगा, थोड़ा-थोड़ा हिस्सा कर के करना होगा। यह बात आगे सोची जा सकती है कि विवाह की आयु क्या बढ़े क्योंकि जैसा कहा गया कि लड़कों को अपने पैरों पर खड़ा हो जाना चाहिए और इसलिए अगर 25 वर्ष की आयु लड़कों की हो तो ठीक रहेगा और लड़कियों के लिए भी जैसा आज कल चल रहा है कि वे भी पढ़ना चाहती हैं और अपने पैरों पर खड़ी होना चाहती हैं तो उनकी 21 वर्ष की आयु, तो आगे जब यह कानून

सफल हो जाय 18 और 21 वर्ष की आयु का और सारे भारतवर्ष में ऐसा हो सके कि कोई व्यक्ति सोचे भी न 21 वर्ष से पहले अपने लड़के की शादी करने या 18 वर्ष से पहले लड़की की शादी करने की बात, तब वह समय आयेगा कि इस पर और सोचा जा सकता है कि उस आयु को और बढ़ाया जा सकता है या नहीं।

और भी प्रश्न उठाया गया मोनोगेमी का या डावरी बगैरह का। तो मैं समझता हूँ कि यह तो ठीक है कि सामाजिक क्रान्ति के लिए बहुत सारे आवश्यक कदम उठाने हैं और उठेंगे लेकिन यह समझना कि सब कदम एक साथ उठ सकते हैं या कोई काम्प्रीहेंसिव सोशल लेजिस्लेशन ऐसा हो सकता है जिसमें एक साथ सारी व्यवस्था हो जाय, यह समझना भूल होगी। कम से कम मैं तो इस बात को मानने वालों में से हूँ कि जितना भी थोड़ा भी जिस समय किया जा सकता है उसको इस बात के लिए मुलतवी न किया जाय कि जब तक सब करने की सामर्थ्य, एक साथ सम्पूर्ण क्रान्ति करने की सामर्थ्य न आ जाय तब तक हम कुछ करने की भी कोशिश न करें। मैं ऐसा नहीं मानता हूँ। मैं समझता हूँ कि हमेशा एक एक कदम उठा कर ही कुछ किया जा सकता है। एक साथ सब कुछ नहीं किया जा सकता है।

कुछ यह भी कहा गया कि विडोज और विडोवर्स की शादी के ऊपर भी कोई रोक लगनी चाहिए 40 या 45 वर्ष की आयु के सम्बन्ध में। मैं नहीं समझता कि अभी ऐसी कोई आवश्यकता इस बात की है कि जो विधुर हों या विधवाएं हों उनके ऊपर भी कोई शादी की रोक लगायी जाय। उस प्रश्न को श्री भलगेसन जी ने ही साफ कर दिया जिसके बारे में माननीय सदस्यों को बहुत चिन्ता थी कि यह कानून या विधेयक ऐसा तो नहीं है जो कुछ धर्म मानने वालों पर लागू हो और दूसरों पर लागू न हो। मुझे

बड़ी प्रसन्नता है कि उन्होंने इस बात को साफ कर दिया कि यह कानून सभी के ऊपर एक साथ लागू होगा। हिन्दू मैरिज एक्ट और क्रिश्चियन मैरिज एक्ट का इसलिए जिक्र आया कि उन एक्टों में भी 18 और 15 वर्षों का जिक्र था इसलिए उन कानूनों को भी साथ-साथ संशोधित करने की आवश्यकता थी वरना जो कानून बदला जा रहा है वह तो चाइल्ड मैरिज रेस्ट्रेंट एक्ट को इस संशोधन के द्वारा बदला जा रहा है और सभी धर्म के मानने वालों पर, जो भी भारतवासी हैं, साथ-साथ लागू होता है।

श्री वायलार रवि ने जो कहा, शायद उन्होंने यह समझा कि मताधिकार और विवाह का अधिकार—यह दोनों प्रश्न जुड़े हुए हैं। उन्होंने शायद यह समझा कि जो आयु मताधिकार के लिए ठीक है वही विवाह के लिए भी ठीक है। इस समय वे यहां पर नहीं हैं, उनको शायद यह परेशानी हो, जैसा यहां पर किसी ने बतलाया कि उनका विवाह 19 वर्ष की आयु में हुआ था तो शायद उन्होंने सोचा हो जैसे कांग्रेस शासन काल में रिट्रास्पेक्टिव इफेक्ट दे दिया जाता था वैसे ही अब भी रिट्रास्पेक्टिव इफेक्ट देने की बात हो लेकिन ऐसी कोई बात नहीं है। (ध्वषान) यदि उनके हिसाब से मताधिकार और विवाह को शामिल कर लिया जाये तो क्या हर पांच साल में मताधिकार आता है उसी प्रकार से विवाह का अधिकार भी दिया जायेगा? कहा जा रहा है कि मताधिकार के लिए उम्र घटाई जाये और विवाह के लिए उम्र बढ़ाई जाये। इस प्रकार यह दोनों परस्पर विरोधी बातें हैं और मैं नहीं समझता उनका एक दूसरे से संबंध करने की कोई आवश्यकता है। मैं समझता हूँ उनका कोई सीरियसली ऐसा मत नहीं था बल्कि वे तो इस बिल का समर्थन करना चाहते थे और कुछ कहना चाहते थे।

एक बहुत महत्वपूर्ण बात स्टेट्स आफ वीमेन के बारे में कही गई है। इस सम्बन्ध

## [श्री शान्ति भूषण]

में मैं एक ही बात कहना चाहूंगा कि यह शासन स्टेटस ग्राफ वीमेन के बारे में बहुत चिंतित है और जो कुछ भी किया जा सकता है उसको करने के लिए प्रयत्नशील है। इस सम्बन्ध में मैं केवल यही कहना चाहूंगा कि जैसे लेडीज़ के हाई कोर्ट के जज के एप्वाइंटमेंट की बात थी—हाल में किसी ने मुझ से पूछा तो मैं ने बतलाया कि पिछले 30 वर्षों के शासन काल में कांग्रेस ने तीन लेडीज़ को हाईकोर्ट का जज बनाया लेकिन जनता पार्टी के शासन ने दस महीने में ही पांच लेडीज़ को हाई कोर्ट का जज बना दिया। इससे यह जाहिर होता है कि सरकार स्टेटस ग्राफ वीमेन के लिए बड़ी प्रयत्नशील है और वह चाहती है कि महिलायें जिन्होंने इस देश के स्वतंत्रता संग्राम में बड़ा भारी भाग लिया था वे इस देश के हर उच्च पद पर पहुँचें। लेकिन इस बिल में अगर यह अपेक्षा की जाये कि इसमें भी कुछ इस तरह की बात लाई जायेगी तो मैं समझता हूँ वह वांछित नहीं होगा।

**श्रीमती विभा घोष गोस्वामी (नवद्वीप):**  
कमीशन ग्रान वीमेन ?

**श्री शान्ति भूषण :** जहाँ तक इस विधेयक का ताल्लुक है, उसका कमीशन ग्रान वीमेन से कोई ताल्लुक नहीं है। कमीशन ग्रान वीमेन की जो बात है उसका इस विधेयक से कोई सम्बन्ध नहीं बनता है। बाकी स्टेटस ग्राफ वीमेन के लिए, जैसा मैंने कहा, जनता पार्टी की सरकार पूरी तरह से सजग है और जो कुछ भी सम्भव प्रयत्न होगा उसको वह जरूर करेगी।

इन शब्दों के साथ मैं सभी माननीय सदस्यों को धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने इस विधेयक का पूरा समर्थन किया।

**MR. CHAIRMAN:** The question is:

“That the Bill further to amend the Child Marriage Restraint Act, 1929, and to make certain consequential amendments in the Indian Christian Marriage Act, 1872, and the Hindu Marriage Act, 1955, be taken into consideration.”

*The motion was adopted.*

**MR. CHAIRMAN:** Now, we take up clause-by-clause consideration.

**Clause 2 (Amendment of section 2)**

**SHRI R. VENKATARAMAN:** I have given notice of an Amendment.....

**MR. CHAIRMAN:** Before that, there is a Government Amendment. Mr. Shanti Bhushan may move his Amendment.

**SHRI R. VENKATARAMAN:** I am on a point of order. In List No. 2 Amendment No. 3. should be moved before Amendment No. 7 can be moved.

**MR. CHAIRMAN:** I have noted your point of order. May I bring it to your notice that Rule 84 provides as follows:

“Amendments of which notice has been given shall, as far as practicable, be arranged in the list of amendments, issued from time to time, in the order in which they may be called. In arranging amendments raising the same question at the same point of a clause, precedence may be given to an amendment moved by the member in charge of the Bill.

I have therefore given precedence to the Minister .

**SHRI SHANTI BHUSHAN:** I move:

Page 1, line 11,—for “sixteen” substitute “eighteen” (7)

MR. CHAIRMAN: The question is:

Page 1, line 11,—  
for "sixteen" substitute "eighteen" (7)

The motion was adopted.

MR. CHAIRMAN: The question is:

"That Clause 2, as amended, stand part of the Bill."

The motion was adopted.

Clause 2, as amended, was added to the Bill.

Clauses 3 to 6 were added to the Bill.

The Schedule

SHRIMATI PARVATHI KRISHNAN: I beg to move:

THE SCHEDULE  
[See Section 6]

Year	No.	Short title	Amendments
(1)	(2)	(3)	(4)
1872	15	The Indian Christian Marriage Act, 1872.	In section 60— (i) in condition number (1), for the words "eighteen years" and "fifteen years", the words "twenty-one years" and "eighteen years" shall respectively be substituted;  (ii) the proviso shall be omitted.
1955	25	The Hindu Marriage Act, 1955.	(1) In section 5,—  (i) in clause (iii), for the words "eighteen years" and "fifteen years" the words "twenty-one years" and "eighteen years" shall respectively be substituted;  (ii) clause (vi) shall be omitted.  (2) Section 6 shall be omitted.  (3) In Section 12, in sub-section (1), in clause (c), for the words and figure "is required under section 5", the words, figures and brackets "was required under section 5 as it stood

Page 2, line 22—

for "sixteen" substitute "eighteen" (4)

SHRI R. VANKATARAMAN: I beg to move:

Page 2,—

for lines 24 to 36 substitute—

"(ii) the proviso shall be omitted." (5)

Page 2, line 39—

for "sixteen" substitute "eighteen" (6)

SHRI SHANTI SHUSHAN: I beg to move:

Page 2—

for lines 13 to 40 substitute—

1	2	3	4
			<p>immediately before the commencement of the Child Marriage Restraint (Amendment) Act, 1978" shall be substituted.</p> <p>(4) In section 18,—</p> <p>(i) for the brackets, letters and word", (v) and (vi)", the word, brackets and letter "and (v)" shall be substituted;</p> <p>(ii) in clause (b), the word "and" occurring at the end shall be omitted;</p> <p>(iii) clause (c) shall be omitted' (8)</p>

May I just mention a correction in amendment No. 8 to the Schedule. On page 2 of List 3, cause 3 will read;

'In section 12, in sub-section (1), in clause (c), for the words and figures "is required under section 5", the words, figures and brackets "was required under section 5 as it stood immediately before the commencement of the child Marriage Restraint (Amendment) Act, 1978" shall be substituted.'

With your permission, I have made this slight correction.

MR. CHAIRMAN: What have you to say to amendments No. 4, 5 and 6?

SHRI SHANTI BHUSHAN: I do not accept them.

MR. CHAIRMAN: I shall now put amendments No. 4, 5 and 6 to the vote of the House.

*Amendments Nos. 4, 5 and 6 were put and negatived.*

MR. CHAIRMAN: I shall now put amendment No. 8, as amended by Shri Shanti Bhushan to the vote of the House.

SHRI MOHD. SHAFI QURESHI (Anantnag): Because the other similar amendments have been negatived by the House, his amendment will also stand negatived.

SHRI R. VENKATARAMAN: The same amendment cannot be moved again.

SHRI SHANTI BHUSHAN: It is not the same amendment. So far as amendment No. 8 is concerned, it is entirely different.

SHRI R. VENKATARAMAN: My amendment says: for 'sixteen' substitute 'eighteen'.

MR. CHAIRMAN: That is amendment No. 7 to clause 2. That has already been made part of the Bill.

SHRI SHANTI BHUSHAN: So far as amendment No. 8 is concerned, it is entirely different from the amendments which have been given by the hon. Members. This amendment says:

"for lines 13 to 40 substitute—

'THE SCHEDULE.....

Instead of the original Schedule, a new Schedule is sought to be substituted. There is no such amendment given by you.

SHRI R. VENKATARAMAN: On a point of Order.

श्री मुकम चन्द कल्लुशाय : मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है। उनका संशोधन अस्वीकृत हो गया है। उस पर वह बोल नहीं सकते हैं। उसका वह उल्लेख भी नहीं कर सकते हैं।

सभापति महोदय : व्यवस्था का प्रश्न उन्होंने भी उठाया है और उसको मैं सुन रही हूँ।

श्री हुकम चन्द कछवाय : उनका संशोधन गिर गया है, पास नहीं हुआ है। वह बोल नहीं सकते हैं उस पर। मैं यह जानना चाहता हूँ कि किस नियम के अन्दर वह बोल रहे हैं? उनके संशोधन पर आपने मत लिया और वह गिर गया। अब उस पर वह चर्चा नहीं कर सकते हैं।

सभापति महोदय : उनका तो गिर गया है। लेकिन इन्होंने जो मूव किया है उसके बारे में वह व्यवस्था का प्रश्न उठा रहे हैं।

SHRI R. VENKATARAMAN: My amendment No. 4 says:

"Page 2, line 22.—

for 'sixteen' substitute 'eighteen'"

MR. CHAIRMAN: You are a little mixed up. The amendment moved by him is different from yours and your amendments have been negatived by the House. Let us proceed further.

SHRI R. VENKATARAMAN: I am saying, it is not. You made a mistake....

MR. CHAIRMAN: I have heard your point of order.

SHRI R. VENKATARAMAN: You have not.

MR. CHAIRMAN: Let me hear others now.

SHRI R. VENKATARAMAN: My amendment No. 4 says.... (*Interruptions*)

श्री हुकम चन्द कछवाय : जो गिर गया है उस पर अगर चर्चा की जाती है तो वह बीच रेकार्ड पर नहीं आ सकती है।

सभापति महोदय : मुझे आपकी सहायता की जरूरत होगी तो मांग लूंगी, अभी आप मुझे काम करने दीजिये।

SHRI A. C. GEORGE (*Mukandapuram*): He is reading out the amendment.

SHRI R. VENKATARAMAN: How can I show the similarity unless I read the amendments.... Now I read both the amendments. My amendment No. 4 says:

"Page 2, line 22,—

for "sixteen" substitute "eighteen"

श्री हुकम चन्द कछवाय : जब उनका संशोधन गिर गया फिर आप क्यों उनकी बात को रेकार्ड पर ला रही हैं? यह दिल्कुल अव्यवस्थित है।

SHRI R. VENKATARAMAN: Now in amendment No. 8 the same words are there: ....

for the word 'fifteen' the word 'eighteen' shall be substituted.

MR. CHAIRMAN: I have understood you. Now let me give you my answer.

The amendment moved by Shri shanti Bhushan is substitution of the complete Schedule and therefore it is a different amendment. Your amendment has already been taken into consideration and has been negatived by the House and so you cannot go back to it. Mr. Kachwai is right in that. Therefore, I am ruling it out of order.

SHRI R. VENKATARAMAN: Just only one word, Madam. I say the proviso must be deleted. This has been negatived. He also says that the proviso must be deleted. Then how can the amendment be negatived.

MR. CHAIRMAN: You should have done that earlier. This is a different amendment. I have accepted it.

SHRI R. VENKATARAMAN: It is not a different amendment.

THE MINISTER OF FINANCE AND REVENUE AND BANKING, (SHRI H. M. PATEL): You are challenging the ruling of the Chair?

MR. CHAIRMAN: Will you please take your seat? I am not allowing you.

SHRI R. VENKATARAMAN: If you want to shut me out, I cannot help it.

श्री उपस्थान (देवरिया) : जब आपने व्यवस्था दे दी फिर वह कैसे बोल रहे हैं ?

MR. CHAIRMAN: When I am standing, you cannot also stand. Will you please take your seat? I have heard you.

SHRI R. VENKATARAMAN: No.

SHRI MOHD. SHAFI QURESHI: On a point of order. You cannot shut him like this.

वह अमेंडमेंट नम्बर 8 पर बोल रहे हैं, आप उनकी बात सुन लीजिये और अगर गलत समझ आये तो उसको रद्द कर दीजिये। आप इनको सुनती ही नहीं हैं कि वह क्या कहना चाहते हैं।

We are only trying to help the Minister. But you are violating the procedure. The whole procedure is wrong. You can name me but you cannot dictate like this. You must listen to him. What do you mean by this?

SHRI A. C. GEORGE: You just understand it. We are helping him.

SHRI R. VENKATARAMAN: In my amendment No. 5 I have said the proviso be omitted....

MR. CHAIRMAN: Mr. Venkataraman, I had it put to the House. It

has been negatived. It cannot be re-discussed. What is this?

SHRI MOHD. SHAFI QURESHI: You have to listen to him.

MR. CHAIRMAN: Will you please sit down?

SHRI MOHD. SHAFI QURESHI: I will not. You cannot run the House this way. You please give your ruling.

SHRI H. M. PATEL: How dare you speak like this?

श्री मोहम्मद शफी कुरेशी : हम इस तरह से हाउस नहीं चलने देंगे।

MR. CHAIRMAN: I have given my ruling, Mr. Venkataraman.

SHRI MOHD. SHAFI QURESHI: On a point of order. There is no quorum in the House.

MR. CHAIRMAN: Let the quorum bell be rung.....Now the quorum bell is being rung.

SHRI H. M. PATEL: We have some convention.....

SHRI MOHD. SHAFI QURESHI: You are a third rate I.C.S. officer. you are not aware of conventions.

SHRI H. M. PATEL: We would not accepted it. This is a point of order. (Interruptions)

SHRI O. V. ALAGESAN: You should give a ruling on'y after you have heard him.

MR. CHAIRMAN: I have heard him.

SHRI R. VENKATARAMAN: You have not heard me. You give me two minutes to go on record. In my amendment No. 5, I said that the proviso shall be omitted. In Shri Shanti Bhushan's amendment No. 8 the same clause—that the proviso shall be omitted—comes. Once my amendment has been negatived, this particular amend-



ment is out of order. It has been negatived. It cannot be put again.

That is my point. You decide in whatever manner you like.

**SHRI SHANTI BHUSHAN:** The contention of the hon. member is that if there is an amendment moved by one hon. member and there is another amendment moved by another hon. member, in spite of the fact that the two amendments are not identical, if there is some little thing common, namely, if he wants deletion of something and the word 'and' is also there and in the other amendment which is moved, is the same thing, 'and' is there, but the purpose of two amendments is entirely different, his contention is that it is identical and cannot be taken up. If the hon. member may just have a look at the amendment which I have moved, the amendment says:

for Lines 13 to 40

Substitute 'The Schedule'.—Now the new Schedule. Now this new Schedule is very different from the old Schedule which was given in the original Bill. So many new things are there which have been added in the new Schedule which were not there in the old Schedule.

So far as amendment moved by hon. member was concerned the scope was very very restricted. It was only intended to make some little change but much bigger and wider change is sought to be made by the amendment which has been moved to the Schedule. Therefore, the scope of the two amendments is entirely different. Merely because some little thing is common does not mean that the amendment has the same scope as the amendment moved by the hon. member.

**MR. CHAIRMAN:** The question is:

Page 2,—

for lines 13 to 40 substitute—

**'THE SCHEDULE**  
[See section 6]

Year	No.	Short title	Amendments
(1)	(2)	(3)	(4)
1872	15	The Indian Christian Marriage Act, 1872	In section 60,— (i) in condition number (1), for the words "eighteen years" and "fifteen years", the words "twenty-one years" and "eighteen years" shall respectively be substituted;  (ii) the proviso shall be omitted.
1955	25	The Hindu Marriage Act, 1955	(1) In section 5,— (i) in clause (iii), for the words, "eighteen years" and "fifteen years", the words "twenty-one years" and "eighteen years" shall respectively be substituted;  (ii) clause (vi) shall be omitted.  (2) Section 6 shall be omitted.  (3) In section 12, in sub-section (1), in clause (c), for the words and figures "is required under section 5", the words, figures and brackets "was required under

(1)

(2)

(3)

(4)

section 5 as it stood immediately before the commencement of the Child Marriage Restraint (Amendment) Act, 1978" shall be substituted.

(4) In section 18,—

(i) for the brackets, letters and word "(v) and (vi)", the word, brackets and letter "and (v)" shall be substituted;

(ii) in clause (b), the word "and" occurring at the end shall be omitted;

(iii) clause (c) shall be omitted. (8)

*The motion was adopted.*

MR. CHAIRMAN: The question is:

"That the Schedule, as amended, stand part of the Bill."

*The motion was adopted.*

*The Schedule, as amended, was added to the Bill.*

*Clause 1 (Short title and commencement)*

*Amendment made:*

Page 1, line 4,—

for "1977" substitute "1978"  
(2)

(Shri Shanti Bhushan)

MR. CHAIRMAN: The question is:

"That Clause 1, as amended, stand part of the Bill."

*The motion was adopted.*

*Clause 1, as amended, was added to the Bill.*

*Enacting Formula*

*Amendment made:*

Page 1, line 1,

for "Twenty-eighth" substitute—

"Twenty-ninth" (1)

(Shri Shanti Bhushan)

MR. CHAIRMAN: The question is:

"That the Enacting Formula, as amended, stand part of the Bill."

*The motion was adopted.*

*The Enacting Formula, as amended, was added to the Bill.*

*The Title was added to the Bill.*

THE MINISTER OF LAW, JUSTICE AND COMPANY AFFAIRS (SHRI SHANTI BHUSHAN): I beg to move:

"That the Bill, as amended, be passed."

MR. CHAIRMAN: Motion moved:

"That the Bill, as amended, be passed."

SHRIMATI PARVATHI KRISHNAN (Coimbatore): Madam Chairman, I have listened very carefully to the reply of the hon. Minister, and, of course, to all the bio-data that he gave about himself and his colleagues

—most interesting no doubt, but not material to the Bill. And I am very surprised and sorry, Madam, to say that he has paid absolutely no attention to some serious suggestions which were made from this side of the House including that about the compulsory registration of marriages, which is a very important part of the whole matter.

And, secondly, Madam, I am also very sorry to note—and I regret that very much—that the Minister did not think in terms of accepting an Amendment; but on the other hand, he brought his own Amendment, of raising the age of women from 16 to 18.

But, I am happy, in any case, that this Bill is being passed. And I am happy that he—in the midst of his multifarious activities and busy as he is with his family as he told us—did find time to pay attention to public opinion in this country and particularly that of the women's organisations and has raised the marriageable age of women from 16 to 18. Thank you.

THE MINISTER OF LAW, JUSTICE AND COMPANY AFFAIRS (SHRI SHANTI BHUSHAN): Madam Chairman, as for the suggestion that has been made, it is not as if no attention has been paid to it. In fact, I was grateful—perhaps I was speaking in a different language; but I had said that I was grateful—for all the valuable suggestions which had been made. What I have said was that so far as the scope of the Bill is concerned, it is very limited. It seeks to amend the Child Marriage Restraint Act.

SHRIMATI PARVATHI KRISHNAN: I know that it is limited. Let him give an assurance because this falls in his sphere. It is his Ministry that has to deal with it.

SHRI SHANTI BHUSHAN: The suggestion which has been made will certainly receive consideration, but I am not in a position to give an assurance right now because that is a problem which needs careful consideration as to what will be the administrative set-up, what will be the difficulties, and in what way it has to be done, and so on, and secondly, it was not a matter which was directly relevant or pertinent to the scope of the Bill. Therefore I had not dealt it with at length, but I have welcomed all the various suggestions which had been made.

MR. CHAIRMAN: The question is:

“That the Bill, as amended, be passed.”

*The motion was adopted.*

17.58 hrs.

BUSINESS ADVISORY COMMITTEE  
ELEVENTH REPORT

SHRIMATI PARVATHI KRISHNAN (Coimbatore): I beg to present the Eleventh Report of the Business Advisory Committee.

17.58 hrs.

*The Lok Sabha then adjourned till Eleven of the Clock on Wednesday, February 22, 1978/Phalgun 3, 1899 (Saka).*